इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड

('इरकॉन डीएचएचएल')

(इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)

सीआईएन: U45500DL2017GOI317401

देवांगेरे - हवेरी राजमार्ग परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग-48, कर्नाटक

(हाइब्राइड वार्षिकी मॉडल के अंतर्गत)

प्रथम वार्षिक रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष 2017-18

कंपनी परियोजना

"दिनांक 19 जून 2017 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ हस्ताक्षरित रियायत करार की शर्तों के अनुसार एनएचपीडी चरण-V के अंतर्गत डीबीएफओटी पर हाइब्राइड वार्षिकी परियोजना के रूप में निष्पादित किए जाने हेतु कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-4) के 260+000 से किमी 338+923 तक देवांगेरे-हवेरी को छह लेन का बनाना"

निदेशक मंडल

श्री दीपक सबलोक, अंशकालीन अध्यक्ष
श्री अशोक कुमार गोयल, अंशकालीन निदेशक
श्री आनन्द कुमार सिंह, अंशकालीन निदेशक
श्री राजेन्द्र सिंह यादव, अंशकालीन निदेशक
सुश्री अनुपम बेन, अंशकालीन निदेशक

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

श्री नगनगौडा पाटिल, मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सुश्री पायल शर्मा, कंपनी सचिव

बोर्ड समिति

लेखापरीक्षा समिति
नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
(18.07.2018 को गठित)

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसस सोनी छत्राथ एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

कंपनी के ईपीसी संविदाकार

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

कंपनी के बैंकर

इंडियान ओवरसीस बैंज, आर.के.पुरम,
नई दिल्ली

सम्पर्क अधिकारी

सुश्री पायल शर्मा
कंपनी सचिव
ईमेल :ircondhhl@gmail.com
दूरभाष: 011-29565666

पंजीकृत कार्यालय

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,
नई दिल्ली- 110017

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड के निदेशक मंडल

[अंशकालीन (नामिती) निदेशक]

श्री दीपक सबलोक

अध्यक्ष, निदेशक (परियोजना), इरकॉन

श्री अशोक कुमार गोयल, निदेशक

कार्यपालक निदेशक/परियोजना, इरकॉन

श्री आनन्द कुमार सिंह, निदेशक

कार्यपालक निदेशक/वित्त, इरकॉन

श्री राजेन्द्र सिंह यादव

निदेशक

परियोजना निदेशक/जम्मू एवं कश्मीर, इरकॉन

सुश्री अनुपम बेन

निदेशक

मुख्य महाप्रबधक/एचआरएम, इरकॉन

इरकॉन डीएचएचएल के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

श्री नगनगौडा पाटिल,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ)
[18.07.2018 से]

सुश्री पायल शर्मा
कंपनी सचिव
[20.11.2017 से]

देवांगेरे - हवेरी राजमार्ग परियोजना के फोटोग्राफ

इक्विटी और ऋण पूंजी

विवरण	धाराक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड से स्वीकृत/अनुमोदित निवेश	आहिरत राशि (19.09.2018 को)
1. इक्विटी शेयर पूंजी	217.05 करोड़ रूपए	54.05 करोड़ रूपए
2. रक्षित ऋण (कर्ज)	503.00 करोड़ रूपए	शून्य

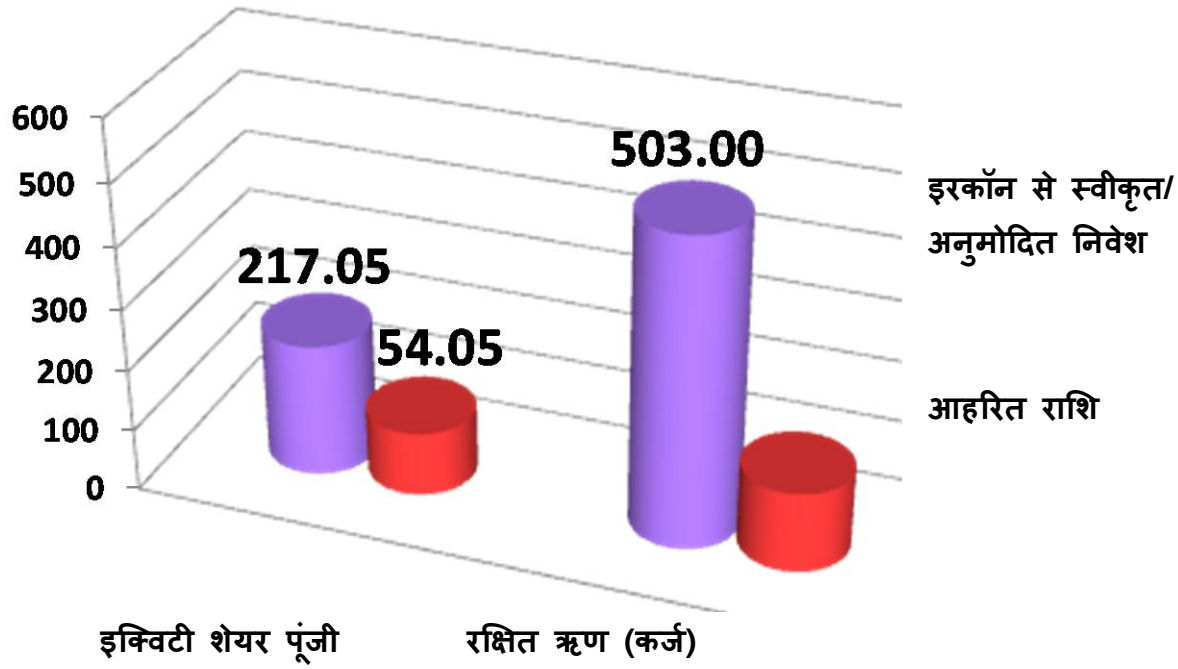

अध्यक्ष का संबोधन

दिनांक 27.09.2018 को आयोजित पहली (1) वार्षिक साधारण बैठक में

प्रिय शेयरधाराकों

मुझे कंपनी की प्रथम वार्षिक साधारण बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है। इस बैठक में उपस्थित होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपके समक्ष दिनांक 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु इंड एएस लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, बोर्ड की रिपोर्ट, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित आपकी कंपनी की प्रथम वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आपकी अनुमति से मैं यह मानता हूं कि आपने इस रिपोर्ट को पढ लिया है।

कंपनी का संक्षिप्त विवरण

इरकॉन डीएचएचएल को दिनांक 11 मई 2017 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ हस्ताक्षरित रियायत करार की शर्तों के अनुसार एनएचपीडी चरण-V के अंतर्गत डीबीएफओटी पर हाइब्राइड वार्षिकी परियोजना के रूप में निष्पादित किए जाने हेतु कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-4) के किमी 260+000 से किमी 338+923 तक देवांगेरे-हवेरी को छह लेन का बनाने हेतु विशेष कार्य व्यवस्था के रूप में स्थापित किया गया है। परियोजना की रियायत अवधि 15 वर्ष है, जिसमें 30 माह की परियोजना निर्माण अवधि शामिल नहीं है।

इस परियोजना की कुल परियोजना निष्पादन लागत 1177.00 करोड़ रूपए जमा मूल्य संवर्धन है, जिसमें 40% परियोजना लागत की प्रतिपूर्ति एनएचएआई द्वारा की जाएगी और 60% लागत को एसपीवी द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा। तदनुसार, एसपीवी 720.05 करोड़ रुपये की परियोजना निर्माण लागत का वित्तपोषण करेगा, जिसमें इक्विटी और ऋण निवेश के माध्यम क्रमश: 217.05 करोड़ रूपए और 503.00 करोड़ रूपए निवेश किए जाएगा। आज की तिथि को इरकॉन द्वारा आरंभिक निवेश तत्पश्चात राइट्स इश्यू के माध्यम से 54.05 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।

परियोजना निर्माण

परियोजना निर्माण कार्य दिनांक 24 जनवरी 2018 की नियुक्ति तिथि को आरंभ हो गया है और कार्य उपलब्ध क्षेत्रों में प्रगति पर है।

वित्तीय विशिष्टताएं

कुल स्वीकृत परियोजना लागत की दृष्टि से आज की तिथि को आपकी कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 217.05 करोड़ रूपए और अंशदायी व प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी 54.05 करोड़ रूपए है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, कंपनी ने 0.25 लाख रूपए का व्यय किया है, तथापि, और उसे 63.07 लाख रूपए का करपूर्व लाभ प्राप्त हुआ है, जो आस्थगित कर के समायोजन के कारण है।

अनुपालन और प्रकटन

कंपनी अधिनियम, **2013** और इसके अंतर्गत संबद्ध नियमों के तहत अनुपालन और प्रकटनों को पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया गया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी लोक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी निगमित शासन दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रही है।

आभारोक्ति

मैं निदेशक मंडल की ओर से इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, कंपनी के लेखापरीक्षकों और कंपनी में मूल्यवान ग्राहकों यथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के मूल्यवान सहयोग और समर्थन के लिए आभार प्रकट करता हूं। मैं कंपनी के कर्मचारियों के प्रयासों की भी सराहना करता हूं जो कि हमारी मूल्यवान संपत्ति हैं।

कृते और की ओर से
इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड

ह/-
(अशोक कुमार गोयल)
पीठासीन अध्यक्ष
डिन: 05308809

दिनांक: 27.09.2018
स्थान: नई दिल्ली

इरकॉन डीएचएचएल की वार्षिक रिपोर्ट की विषयवस्तु

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	निदेशक मंडल की रिपोर्ट	10
2.	सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	57
3.	कंपनी के इंड एएस वित्तीय विवरण	
	➢ तुलन पत्र	68
	➢ लाभ हानि विवरण	69
	➢ रोकड़ प्रवाह विवरण	70
	➢ इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	71
	➢ महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार	72
	➢ लेखों एवं अन्य विवरणात्मक सूचना संबंधी नोट	90
4.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां (सीएजी टिप्पणियां)	103

निदेशक की रिपोर्ट
वर्ष 2017-18

निदेशक की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यों,

आपके निदेशकों को वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और व्यावसायिक गतिविधियों सहित प्रथम वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत संतोष हो रहा है।

व्यावसायिक प्रचालनिक विशेषताएं : कंपनी के कार्यों की वर्तमान स्थिति

इरकॉन देवांगेरे - हवेरी राजमार्ग लिमिटेड (इरकॉनडीएचएचएल), इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जिसका निगमन दिनांक 11 मई, 2017 को विशेष कार्य व्यवस्था (एसपीवी) के रूप में दिनांक 19 जून 2017 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ हस्ताक्षरित रियायत करार की शर्तों के अनुसार एनएचपीडी चरण-V के अंतर्गत डीबीएफओटी पर हाइब्राइड वार्षिकी परियोजना के रूप में निष्पादित किए जाने हेतु कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-4) के किमी 260+000 से किमी 338+923 तक देवांगेरे-हवेरी को छह लेन का बनाना के परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए किया गया था। इस परियोजना की रियायत अवधि 15 वर्ष है, जिसमें 24 जनवरी 2018 यथा नियुक्ति तिथि से आरंभ 912 दिन (30 माह) की निर्माण अवधि शामिल नहीं है। कार्य के क्षेत्र में 78,923 किमी के मुख्य कैरेज-वे (राजमार्ग की कुल लंबाई), 154.654 किमी की सेवा सड़क लंबाई, जिसमें प्रमुख पुल, पुलिया वीयूपी, पीयूपी, फ्लाइओवर तथा अन्य संबद्ध कार्य शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त रियायत समझौते के संदर्भ में, कुल परियोजना बोली लागत प्रथम वर्ष हेतु रु.1177.00 करोड़ जमा लागत संवर्धन और ओ एंड एम की लागत रु.10 करोड़ है। निर्माण के दौरान एनएचएआई द्वारा परियोजना बोली लागत का 40% की प्रतिपूर्ति की जाएगी और शेष 60% निर्माण लागत की व्यवस्था एसपीवी द्वारा की जाएगी।

वर्तमान में, परियोजना निर्माण चरण में है और निर्माण कार्य के पूरा होने के पश्चात प्रचालन एवं अनुरक्षण चरण आरंभ होगा। ईपीसी संविदाकार यथा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने पहले ही अभिकल्प परामर्श सहित तीन पैकेजों के लिए उप-संविदाकारों को नियुक्त किया है। ऐजेंसियां स्थल के लिए पहले ही मोबिलाइज हो गई हैं और भौतिक कार्य शीघ्र ही आरंभ हो जाएगा। एनएचएआई और स्वतंत्र इंजीनियरों का दल पहले से स्थल पर मौजूद है।

720.05 करोड़ की परियोजना निर्माण लागत को क्रमशः 217.05 करोड़ रूपए और 503 करोड़ रूपए के इक्विटी और ऋण निवेश द्वारा वित्तपोषित किए जाने का प्रस्ताव है, जिसमें से इरकॉन ने अप्रैल 2018 में 20.05 करोड़ रूपए और अगस्त 2018 में 34.00 करोड़ रूपए की इक्विटी प्रदान की है।

<u>वित्तीय विशेषताएं : कंपनी का वित्तीय निष्पादन:</u>

कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के तहत उल्लिखित प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों को भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुसार तैयार किए हैं, जो पूर्ववर्ती भारतीय सामान्यत स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) से अंतरित किए गए हैं। तदनुसार, इंड एएस के अनुपालन हेतु लेखांकन नीतियों को पुन:निर्धारित किया गया है।

दिनांक 31 मार्च 2018 को वित्तीय निष्पादन सूचक:

(राशि रूपए लाख में)

क्र .सं	**विवरण**	**31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए (लेखापरीक्षित)**
1.	इक्विटी शेयर पूंजी	5.00
2.	अन्य इक्विटी (आरक्षित निधि और अतिरेक सहित)	63.07
3.	धारक कंपनी से ऋण (उधार)	0
4.	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति	0
5.	**कुल संपत्ति और देयताएं**	
6.	प्रचालन से राजस्व	0

7.	अन्य आय	0
8.	**कुल आय (6) + (7)**	0
9.	प्रचालनिक लागत	0
10.	अन्य व्यय	0.25
11.	**कुल व्यय (9) + (10)**	0.25
12.	मूल्यह्रास	-
13.	**कर पूर्व लाभ/(हानि) (8)-(11)**	(0.25)
14.	कराधान हेतु प्रावधान	-
15.	**- चालू**	-
16.	- पूर्ववर्ती वर्षों का कर	-
17.	- आस्थगित कर	(63.32)
18.	कर पश्चात लाभ/(हानि)	63.07
19.	अन्य वृहत आय	
20.	**कुल वृहत आय (लाभ (हानि) एवं अन्य वृहत आय सहित (15)+(**16**)**	63.07

31 मार्च 2018 को कंपनी की शेयर पूंजी :

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 217.05 करोड़ रुपये है, जिसमें प्रति 10 रूपए के 21,70,50,000 इक्विटी शेयर और कंपनी की प्रदत्त, अंशदायी और शेयर पूंजी 0.05 करोड़ है, जिसमें प्रति 10 रूपए के 50,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि हुई है जो दिनांक 15 जनवरी 2018 को असाधारण आम बैठक में 5 करोड़ रूपए से बढकर 217.05 करोड़ रूपए हो गई है।

कंपनी ने इस रिपोर्ट की तिथि तक राइट्स इश्यू के तहत वित्तीय वर्ष के समापन के पश्चात कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 54.05 करोड़ रुपये कर दिया है।

आवंटन की तिथि	आवंटित इक्विटी शेयरों की संख्या (प्रति शेयर 10 रूपए)	आवंटिती का नाम
05 अप्रैल 2018	2,00,00,000	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी)
16 अगस्त 2018	3,40,00,000	

परियोजना से रोकड़ प्रवाह:

वर्ष के दौरान परियोजना गतिविधियों से कुल रोकड़ प्रवाह **0.23** लाख रूपए है।

प्रबंधन एवं विार विमर्श विश्लेषण रिपोर्ट (एमडीएआर):

एमडीएआर इस रिपोर्ट के भाग के रूप में **अनुबंध-क** पर संलग्न है

वार्षिक रिटर्न का सार:

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 की धारा 12 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के नियम-92(3) के अनुसार, फॉर्म एमजीटी -9 में वार्षिक रिटर्न का सार, इस रिपोर्ट के भाग के रूप में **अनुबंध-ख** के रूप में संलग्न है।

निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक:

कंपनी का प्रबंधन कंपनी के बोर्ड के रूप में पांच गैर-कार्यपालक नामिती निदेशकों की अध्यक्षता में है, जिनकी नियुक्ति आपकी कंपनी की धारक कंपनी द्वारा की गई है और ये कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुसार पहले निदेशक हैं: -

क्र.सं	निदेशक	नियुक्ति तिथि	डीआईएन
1.	श्री दीपक सबलोक, अंशकालीन अध्यक्ष	11.05.2017	03056457
2.	श्री अशोक कुमार गोयल, नामिति निदेशक	11.05.2017	05308809
3.	श्री आनन्द कुमार सिंह, नामिति निदेशक	11.05.2017	07018776
4.	श्री राजेन्द्र सिंह यादव, नामिति निदेशक	11.05.2017	07752915
5.	सुश्री अनुपम बेन, नामिति निदेशक	11.05.2017	07797026

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक:

क्र.सं	कंपनी के प्रमुख कार्मिक	नियुक्ति तिथि	पेन न.
1.	सुश्री पायल शर्मा, कंपनी सचिव (20.11.2017 को केएमपी नामित)	20.11.2017	CHRPS9913G
2.	श्री नगनगौंडा पाटिल, मुख्य कार्यपालक अधिकारी (18.07.2018 को केएमपी नामित)	18.07.2018	BBZPP6530K

कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड-203 के प्रावधान दिनांक 5 अप्रैल 2018 से कंपनी पर लागू है। कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है।

निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या:

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आपके निदेशक मंडल ने कंपनी अधिनियम, 2013, बोर्ड की बैठक और इसके अधिकार, नियम, 2014 और डीपीई (कॉर्पोरेट गवर्नेंस) दिशानिर्देशों, 2010 के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 08 बार बैठकें आयोजित की हैं।

बोर्ड की बैठकें दिनांक 12.05.2017, 25.05.2017, 13.06.2017, 11.08.2017, 08.09.2017, 09.11.2017, 05.12.2017 और 20.02.2018 को आयोजित की गईं। बोर्ड की बैठक के बीच अंतराल कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर था।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बोर्ड की बैठकों की संख्या जिनमें निदेशक उपस्थित रहे:-

निदेशक का नाम	बैठकों की संख्या जिनमें निदेशक उपस्थित
श्री दीपक सबलोक	8/8
श्री अशोक कुमार गोयल	8/8
श्री आनन्द कुमार सिंह	7/8
श्री राजेन्द्र सिंह यादव	8/8
सुश्री अनुपम बेन	8/8

बोर्ड समितियां:

कंपनी ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के समापन के पश्चात बोर्ड की निम्नलिखित समितियों का गठन किया है:

1. लेखापरीक्षा समिति
2. नामांकन और पारिश्रमिक समिति

लेखापरीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना से संबंधित विवरण कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट में शामिल हैं, जो इस रिपोर्ट का भाग है।

निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों में परिवर्तन:

समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में कोई बदलाव नहीं किए गए थे। हालाँकि, कंपनी ने कंपनी सचिव और मुख्य कार्यपालक अधिकारी को क्रमश: दिनांक 20 नवंबर 2017 तथा 18 जुलाई 2018 को कंपनी के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के रूप में नियुक्त किया है।

निगमित शासन रिपोर्ट

निगमित शासन रिपोर्ट इस रिपोर्ट में **अनुबंध- ग** के रूप में संलग्न है।

निदेशक के उत्तरदायित्व का विवरण:

निदेशक मंडल के उत्तरदायित्व विवरण के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134(3)(ग) के अंतर्गत अपेक्षा के अनुसरण में एतदद्वारा पुष्टि की जाती है कि:

क) दिनांक 31 मार्च 2018 को समाप्त अवधि हेतु वार्षिक लेखे तैयार करने में सामग्री विचलनों, यदि कोई हो, से संबंधित उचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है।

ख) ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया गया है और निरंतर लागू किया गया है और ऐसे निर्णय लिए और अनुमान तैयार किए गए थे, जो तर्कसंगत और विवकपूर्ण थे ताकि 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी की कार्य स्थिति तथा उक्त तिथि को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के लाभ का सही एवं वास्तविक चित्र प्रस्तुत हो सके।

ग) परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा छल-कपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखाकरण अभिलेखों के पर्याप्त रखरखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है।

घ) वार्षिक लेखे ''निरंतर'' आधार पर तैयार किए हैं।

ङ) कंपनी को असूचीबद्ध किया जा रहा है, इसलिए कंपनी के अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) के उपखंड (ग) के साथ पठित खंड 134 (5) के उप खंड (ड.) कंपनी के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखने से संबंधित नहीं है। हालाँकि, वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से कार्यरत है;

छ सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की गई है और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं।

<u>स्वतंत्र निदेशक (निदेशकों) द्वारा घोषणा और पुनर्नियुक्ति:</u>

स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 149(6) के प्रावधान लागू नहीं हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।

<u>सांविधिक लेखापरीक्षक:</u>

मैसर्स सोनी छत्राथ एंड कंपनी, सनदी लेखाकार को वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सीएजी के दिनांक 24.07.2017 के पत्र सं.सीए/वी/सीओवाई/केन्द्रीय सरकार/आईडीएचएचएल (I)223 के तहत सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-139(1) के तहत लिखित सहमति और प्रमाण पत्र के माध्यम से पुष्टि की है यह भी पुष्टि की है उनकी नियुक्ति, यदि की जाती है, तो कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर्स) नियम, 2014 के नियम 4 (1) में निर्धारित शर्तों के अनुसार होगी और उनकी नियुक्ति, यदि

की जाती है तो, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141(3) (जी) के तहत निर्धारित सीमा के भीतर होगी।

निदेशक का अवलोकन और वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी (उनकी रिपोर्ट में लेखापरीक्षकों द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी के लिए स्पष्टीकरण:

वित्तीय विवरणों का के भाग के रूप में खातों का विवरण स्व-व्याख्यात्मक है तथा इसे और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होती है।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में कोई आपत्ति या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है, जिसके लिए किसी भी तरह के स्पष्टीकरण/ पुष्टि की आवश्यकता होती है।

अंतर-निगमित ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण (धारा 185 और 186):

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों के तहत कवर किए गए ऋण, गारंटी और निवेश का कोई लेनदेन नहीं है।

संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्था के विवरण:

संबंधित पक्षों के साथ वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा दर्ज किए गए सभी अनुबंध / व्यवस्था / लेनदेन व्यापार के सामान्य क्रम में था और यह आर्म लैंथ आधार पर थे।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने संबंधित पक्षों के साथ किसी भी अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन में प्रवेश नहीं किया था, जिसे संबंधित पक्ष लेनदेन की भौतिकता पर कंपनी की नीति के अनुसार महत्वपूर्ण माना जा सकता है। एओसी- 2 में इसी को प्रस्तुत किया गया है जो इस रिपोर्ट के भाग के रूप में **अनुबंध-घ** पर संलग्न है।

आरक्षित निधि के लिए लाभांश और विनियोजन:

परियोजना की स्थिति के मद्देनजर जो निर्माण चरण में है, निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए किसी भी लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

इंड एएस की प्रयोज्यता के अनुसार, आरक्षित निधियों को वित्तीय विवरणों में "अन्य इक्विटी" के तहत प्रतिधारित आमदनियों के रूप में परिलक्षित किया जाता है और आपकी कंपनी के पास 31 मार्च 2018 तक प्रतिधारित आमदनियों में 63.07 लाख रूपए की शेष राशि है।

<u>वित्तीय वर्ष के समापन के पश्चात कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं</u>:

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धता वित्तीय वर्ष के अंत और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच के अंतराल में नहीं हुए थे।

<u>ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा अर्जन और आउटगो:</u>

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के तहत निर्धारित विवरण निम्नानुसार है:

क. ऊर्जा का संरक्षण: -

आपकी कंपनी किसी भी निर्माण गतिविधि में संलिप्त नहीं है और इसलिए कंपनी के विवरण का प्रस्तुतिकरण हमारी कंपनी पर लागू नहीं होता है।

ख. प्रौद्योगिकी अवशोषण: -

आपकी कंपनी किसी भी निर्माण गतिविधि में संलिप्त नहीं है और इसलिए कंपनी के लिए विशेष रूप से प्रस्तुत करना लागू नहीं है।

ग. विदेशी मुद्रा आय और आउटगो: -

वर्ष 2017-18 के दौरान कोई विदेशी मुद्रा आय और विदेशी मुद्रा आउटगो नहीं था।

जोखिम प्रबंधन:

कंपनी के पास अपनी गतिविधियों के अनुरूप सुदृढ व्यावसायिक जोखिम प्रबंधन ढांचा विद्यमान है, जो व्यापार के जोखिमों की पहचान करने में सक्षम है। बोर्ड की मतानुसार, वर्तमान में कंपनी अपने व्यवसाय के लिए किसी भी बड़े खतरे/जोखिम को नहीं देखती है।

कर्मचारियों के विवरण:

कंपनी (प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा-134 (3) के संदर्भ में वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी के किसी भी कर्मचारी ने प्रतिवर्ष 60 लाख रूपए या उससे अधिक, या प्रति माह 5 लाख रूपए या अधिक का पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर रहे हैं।

निगमित सामाजिक उत्तरदायितव:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति के गठन की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं है।

व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन:

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

सहायक/संयुक्त उद्यम/संबद्ध कंपनियों का विवरण:

आपकी कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण-स्वामित्व वाल सहायक कंपनी है। समीक्षाधीन अवधि के लिए कंपनी की कोई सहायक/संयुक्त उद्यम/संबद्ध कंपनी नहीं थी।

सार्वजनिक जमा राशि:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनियों (जमाराशि की स्वीकृति) नियम, 2014 के अनुसार अपने सदस्यों से किसी भी जमा को आमंत्रित नहीं किया है।

कंपनी के गोइंग कंसर्न स्थिति और भावी प्रचालनों को प्रभावित करने वाले, विनियामकों न्यायालयों और अधिकरणों के महत्वपूर्ण और तथ्यात्मक आदेश

कंपनी के गोइंग कंसर्न स्थिति और भावी प्रचालनों को प्रभावित करने वाले, विनियामकों, न्यायालयों और अधिकरणों द्वारा काई महत्वपूर्ण और तथ्यात्मक आदेश जारी नहीं किए गए हैं।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता संबंधी विवरण:

कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण विद्यमान हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, इस तरह के नियंत्रणों की जांच की गई थी और इसके अभिकल्प और प्रचालन में कोई महत्पपूर्ण तथ्यात्मक कमी नहीं देखी गई थी।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013:

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा-22 के अनुसार समीक्षाधीन अवधि के दौरान, ऐसी कोई घटना नहीं हुई, जहां यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज की गई।

सतर्कता तंत्र:

कंपनी के अधिनियम, 2013 की धारा-177(9) के प्रावधान सतर्कता तंत्र की स्थापना से संबंधित हैं जो कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

समझौता ज्ञापन:

आपकी कंपनी को वित्तीय वर्ष 2017-18 में निगमित किया गया है इसलिए, जून 2017 के दौरान वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए डीपीई समझौता ज्ञापन दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए सार्वजनिक उद्यम विभाग ने आपकी कंपनी को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए इरकॉन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से छूट प्रदान की है ।

कंपनी के बैंकर:

इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) का शाखा कार्यालय : प्रथम तल, पालिका भवन, आर.के. पुरम ब्लॉक बी, सेक्टर-13, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066 में है, जो कंपनी के नाम पर चालू खाता, एस्क्रो खाता खोलने और सावधि जमा (एफडी) के रखरखाव के रूप में सेवाएं प्रदान करने के मामले में कंपनी का एममात्र बैंकिंग साझेदार है।

आभारोक्ति:

आपके निदेशक समीक्षाधीन वर्ष के दौरान वित्तीय संस्थानों, बैंकों, सरकारी प्राधिकारियों से प्राप्त सहायता और सहयोग हेतु, और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, ऋणदाताओं, व्यावसायिक एसोसिएट्स, कंपनी के लेखापरीक्षक और कंपनी के मूल्यवान ग्राहक - भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कंपनी को दी गई मूल्यवान सहायता और सहयोग हेतु सहृदय आभार व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई प्रतिबद्ध सेवाओं के लिए भी उनकी प्रशंसा करते हैं।

इरकॉन देवांगेरे-हवेरी राजमार्ग लिमिटेड के
निदेशक मंडल हेतु तथा की ओर से

ह/-
दीपक सबलोक
अध्यक्ष
डीआईएन: 03056457

दिनांक : 19.09.2018
स्थान : **नई दिल्ली**

प्रबंधन विचारविमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट (एमडीएआर)

अनबंध-क

प्रबंधन विचारविमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट (एमडीएआर)

औद्योगिक संरचना और विकास:

एनएचएआई द्वारा प्रदान की गई अधिकतर राजमार्ग परियोजनाएं निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओटी) परियोजनाएं या हाइब्रिड वार्षिकी (एचएएम) परियोजनाएं हैं।

हाइब्रिड वार्षिकी (एचएएम) परियोजनाएं निर्माण क्षेत्र में, विशेष रूप से पीपीपी मॉडल में सड़क क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यह ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्रापण और निर्माण) मॉडल और बीओटी (निर्माण, प्रचालन और अंतरण) मॉडल, दोनों का मिश्रण (हाइब्रिड) है।

बीओटी मॉडल के अंतर्गत, निजी पक्ष सामान्यत 20 वर्ष (निर्माण अवधि सहित) की निर्दिष्ट अवधि के लिए निर्माण, रखरखाव और टोल एकत्रण की जिम्मेदारी लेते हैं। इस 20 वर्षों के दौरान, सभी टोल एकत्रण कार्य ठेकेदार द्वारा किया जाता है और उसका अनुरक्षण उसके ही द्वारा किया जाएगा। 20 वर्षों की समाप्ति के पश्चात, सड़क का स्वामित्व एनएचएआई को सौंप दिया जाता है। इस मॉडल में निजी पक्ष निर्माण अवधि के दौरान सम्पूर्ण धनराशि का निवेश करते हैं और टोल एकत्रण के माध्यम से इस राशि (ब्याज लागत सहित) की वसूली की उम्मीद करते हैं। निजी पक्ष को सदैव आरंभिक रोकड़ निर्गम प्रवाह के संबंध में जोखिम बना रहा है।

इस जोखिम और अनिश्चितता को दूर करने के लिए, बीओटी मॉडल वैकल्पिक रूप यथा बीओटी वार्षिकी मॉडल है। इस वार्षिकी मॉडल में, आम तौर पर एनएचएआई द्वारा टोल राजस्व जोखिम स्वयं लिया जाता है, जबकि ठेकेदार को सड़क निर्माण और अनुरक्षण के लिए पूर्व-निर्धारित वार्षिकी का भुगतान किया जाता है।

एचआरएम विकासकर्ता और एनएचएआई के बीच जोखिमों को समाप्त करने के लिए मध्यवर्ती दृष्टिकोण है। केवल 60% निवेश करके, विकासकर्ता या रियायतग्राही कंपनी परियोजना निर्माण लागत और संबद्ध वित्तीय देनदारियों को वहन करने में सक्षम हो जाता है। वार्षिकी भुगतान अनुरक्षण अवधि के दौरान विकासकर्ता को स्थिर नकदी प्रवाह सुनिश्चित करता है।

शक्तियां व कमजोरियां:

शक्तियां:

- एमएएच मॉडल के तहत एनएचएआई की अवसंरचनात्मक परियोजनाएं आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित हैं;
- विकासकर्ता की वित्तीय तरलता और वित्तीय जोखिम सरकार द्वारा साझा किया जाता है;
- टोल राजस्व जोखिम प्राधिकरण यथा एनएचएआई द्वारा वहन किया जाता है और इस प्रकार विकासकर्ता राजमार्ग के निर्माण और अनुरक्षण पर ध्यान केन्द्रित कर पाता है।

कमजोरियों:

- प्राकृतिक में परिवर्तन की संभावना रहती है।
- राजमार्गों से संबंधित निर्माण परियोजनाओं में समय पर परिणाम उत्पादन करने में दक्षता के संबंध समस्याएं आती हैं।

अवसर और जोखिम:

अवसर:

सड़कों और राजमार्गों पर लगातार बढ़ते वाहन संचलन प्रचालनों और संबंधित लाभप्रदता में स्थिरता और वृद्धि लाएंगे।

जोखिम:

चूंकि एनएचएआई 60:40 के अनुपात में एचएएम परियोजनाओं का वित्तपोषण कर रहा है, इसलिए परियोजना के पूरा होने के लिए समय पर धन प्राप्त करने के लिए निधियों की कमी हो सकती है।

<u>प्रचालन निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा:</u>

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वर्तमान प्रचालनिक और गैर-प्रचालनिक आय और व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है: -

तालिका I: **वर्तमान वित्तीय स्थिति** **(**रूपए लाख में**)**

विवरण		**11 मई 2017 से 31 मार्च 2018 तक की अवधि हेतु**
I.	**राजस्व**:	
	प्रचालनों से राजस्व	0
	अन्य आय	0
	कुल राजस्व	0
II.	**व्यय**:	
	प्रचालनिक लागत	0
	अन्य व्यय	0.25
	कुल व्यय	0.25
III.	**करपूर्व लाभ**	(0.25)
	कराधान हेतु प्रावधान	
	आस्थगित कर	(63.32)
IV.	**करपश्चात लाभ/(हानि)**	63.07
V.	**कुल वृहत आय (लाभ(हानि) एवं अन्य वृहत आय सहित)**	63.07

मानव संसाधन, औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में तथा नियुक्त कर्मचारियों की संख्या के संबंध में महत्वपूर्ण गतिविधियां:

कंपनी ने कार्यपालक कार्यों, वित्तीय मामलों और अनिवार्य अनुपालनों व प्रकटनों के लिए धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड से प्रतिनियुक्ति पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), संयुक्त महाप्रबंधक/वित्त को नियुक्त किया है और कंपनी के कंपनी सचिव को खुले बाजार के माध्यम से नियुक्त किया गया है।

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड
निदेशक मंडल हेतु तथा की ओर से

ह/-
दीपक सबलोक
अध्यक्ष
डीआईएन: 03056457

दिनांक : 19.09.2018
स्थान : नई दिल्ली

अनुबंध– II

फॉर्म सं.एमजीटी 9

वार्षिक रिटर्न का सार

31.03.2018 को समाप्त वित्त वर्ष हेत

[कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 92(3) तथा कंपनी (प्रशासन और प्रबंधन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में]

I. पंजीकरण और अन्य ब्यौरा:

1	**सीआईएन**	U45500DL2017GOI317401
2	**पंजीकरण तिथि**	11 मई 2017
3	**कंपनी का नाम**	इरकॉन देवांगेरे हवेरी लिमिटेड
4	**कंपनी की श्रेणी/उपश्रेणी**	शेयरों द्वारा कंपनी लिमिटेड/केन्द्रीय सरकार की कंपनी (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)
5	**पंजीकृत कार्यालय का पता व संपर्क ब्यौरा**	पता: सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली -110017
6	**कंपनी सूचीबद्ध है या गैर-सूचीबद्ध**	गैर-सूचीबद्ध कंपनी
7	**रजिस्ट्रार तथा हस्तांतरण एजेंट, यदि कोई हो, का नाम तथा संपर्क ब्यौरा**	लागू नहीं

II. कंपनी की प्रधान व्यवसायिक गतिविधियां: (कंपनी की सभी व्यवसायिक गतिविधियों का उल्लेख किया गया है जो कंपनी के कुल टर्नओवर का 10 प्रतिशत या अधिक का योगदान करती हैं।)

क्र.सं	**मुख्य उत्पाद व सेवा का नाम**	**उत्पाद/सेवाओं का एनआईसी कोड**	**कंपनी के कुल टर्नओवर का %**
1.	कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 (पुराना रा.रा-4) पर राजमार्ग परियोजना निमर्ण की प्रकृति में सेवाएं प्रदान करना : निर्माण सेवाएं: राजमार्ग परियोजना (ईपीसी ठेकेदार के माध्यम से)	42101	0

III. धारक, सहायक तथा संबद्ध कंपनियों का विवरण :

क्र.सं	कंपनी का नाम व पता	सीआईएन/जीएलएन	धारक/सहायक/ संबद्ध कंपनियों	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू अनुच्छेद
	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	यू45203डीएल1976जीओआई008171	धारक कंपनी	100% *	अनुच्छेद 2(46)

* 100% शेयर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) तथा इसके 09 नामितियों के पास हैं।

IV. शेयर धारिता पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का विवरण)

क) श्रेणीवार शेयर धारिता:

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या [11 मई 2017 को]				वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या [31 मार्च 2018 को]				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डीमेट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का %	डीमेट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रमोटर									
(1) भारतीय									
क) व्यक्तिगत/ एचयूएफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) राज्य सरकार(सरकारें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) निकाय निगम#	शून्य	50000	50000	100%	शून्य	50000	50000	100%	-
ड.) बैंक/वित्तीय संस्थान	-			-	-	-	-	-	-
च) कोई अन्य	-			-	-	-	-	-	-
(2) विदेशी	-			-	-	-	-	-	-
प्रमोटरों की कुल शेयरधारिता(क)	**शून्य**	**50000**	**50000**	**100%**	**शून्य**	**50000**	**50000**	**100%**	-
ख. जन शेयरधारिता									
1. संस्थान									
क) म्युचवल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) बैंक / वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) राज्य सरकार (सरकारें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड.) उपक्रम पूंजी निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) बीमा कंपनियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छ) एफआईआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ज) विदेशी उपक्रम पूंजी निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
झ) अन्य (बताएं)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप कुल (ख)(1):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर-संस्थागत									
क) निकाय निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) 1 लाख रूपए तक सांकेतिक शेयर पूंजी धारक व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) 1 लाख रूपए से अधिक सांकेतिक शेयर पूंजी धारक व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य (स्पष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अप्रवासी भारतीय विदेशी निगमित निकाय	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
विदेशी राष्ट्रीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्लियरिंग सदस्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ट्रस्ट	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी निकाय-डीआर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उपकुल(ख)(2):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)=(ख)(1)+ (ख)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. जीडीआर तथा एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा धारित शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सकल योग (क+ख+ग)	**शून्य**	**50000**	**50000**	**100%**	**शून्य**	**50000**	**50000**	**100%**	**-**

निकाय निगम: 100% शेयरधारिता निगमित निकाय – इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और इसके 09 नामितियों के पास है।

ख) प्रमोटरों की शेयरधारिता**:**

क्र.सं	शेयरधारक का नाम	वर्ष के आरंभ में 11 मई 2017 को शेयरधारिता			वर्ष के आरंभ में 31मार्च 2018 को शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयरधारिता % में परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में प्रतिभूति/ऋणयुक्त शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में प्रतिभूति/ ऋणयुक्त शेयरों का %	
1	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	50000	100%	-	50000	100%	शून्य	-
	कुल	**50000**	**100%**	**-**	50000	**100%**	**शून्य**	**-**

प्रमोटरों की शेयरधारिता: कंपनी प्रत्येक 10 रूपए के 500,000 इक्विटी शेयरों के साथ कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है अर्थात सम्पूर्ण शेयरधारिता भारतीय प्रमोटरों के पास है।

अन्य 09 शेयरधारक इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड हेतु और की ओर से शेयरों को धारित कर रहे हैं।

ग) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन :

क्र सं	विवरण	11 मई 2017 को वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता*		31 मार्च 2018 को वर्ष के दौरान संचित संचयी शेयरधारिता *	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	वर्ष के आरंभ में	50000	100%	50000	100%
2.	वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि):	शून्य			
3.	वर्ष के अंत में	50000	100%	50000	100%

घ) दस शीर्ष शेयरधारों की शेयरधारिता पैटर्न :

(निदेशकों, प्रमोटरों तथा जीडीआर व एडीआर के धारकों से इतर):

क्र. सं	प्रत्येक 10 शीर्ष शेयरधारकों हेतु	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता*		वर्ष के दौरान संचित संचयी शेयरधारिता *	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के आरंभ में				

	वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि):	**लागू नहीं।**
	वर्ष के अंत में	

ड.) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता:

क्र. सं	**निदेशक(निदेशकों) का नाम #**	**प्रत्येक निदेशक (निदेशकों) और प्रत्येक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की शेयरधारिता**	**31 मार्च 2017 को वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता***		**31 मार्च 2018 को वर्ष के दौरान संचित संचयी शेयरधारिता ***	
			शेयरों की संख्या	**कंपनी के कुल शेयरों का %**	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**
	श्री दीपक सबलोक	वर्ष के आरंभ में	**शून्य**			
		वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि):				
		वर्ष के अंत में				

$इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड हेतु और की ओर से कंपनी के निदेशकों यथा श्री अशोक कुमार गोयल द्वारा प्रति 10 रूपए के 200 इक्विटी शेयर धारित हैं और श्री आनंद कुमार सिंह, श्री राजेन्द्र सिंह यादव और सुश्री अनुपम बेन, द्वारा प्रति 10 रूपए के 100 शेयर धारित हैं।

V) ऋणग्रस्तता – कंपनी की ऋणग्रस्तता में बकाया/संचित किन्तु भुगतान के अदेय ब्याज शामिल है।

विवरण	**जमा राशियों सहित रक्षित ऋण**	**अरक्षित ऋण**	**जमा राशियां**	**कुल ऋणग्रस्तता**
वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता	-			
i) मूल राशि				
ii) देय किन्तु अप्रदत्त ब्याज				
iii) संचित किन्तु अदेय ब्याज				
कुल (i+ii+iii)				
वित्त वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
* संवर्धन				
* आवर्धन				

निवल परिवर्तन				
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
i) मूल राशि				
ii) देय किन्तु अप्रदत्त ब्याज				
iii) संचित किन्तु अदेय ब्याज				
कुल (i+ii+iii)				

V. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक -

क. <u>प्रबंध निदेशक, पूर्णकालीन निदेशकों तथा/या प्रबंधक का पारिश्रमिक</u>:

क्र.सं	**परिश्रमिक का विवरण @**	**एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम**	**कुल राशि**
1.	सकल वेतन	**लागू नहीं**	
	1. आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन		
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य		
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ		
2.	स्टॉक ऑप्शन		
3.	स्वीट क्विटी		
4.	कमिशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, बताएं…		
5.	अन्य, कृपया बताएं		
	कुल (क) $		
	अधिनियम के अनुसार सीमा	**लागू नहीं**	

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक*:*

क्र.सं	**परिश्रमिक का विवरण @**	**निदेशकों का नाम**	**कुल राशि**
1	स्वतंत्र निदेशक		
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क		
	कमिशन		

	अन्य, कृपया बताएं	**लागू नहीं**
	कुल (1)	
2	अन्य गैर कार्यपालक निदेशक	
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क	
	कमिशन	
	अन्य, कृपया बताएं	
	कुल (2)	
	कुल (ख)=(1+2) $	
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीलिंग	

@ धारक कंपनी द्वारा कंपनी के बोर्ड में नामित इरकॉन डीएचएचएल में वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान पांच अंशकालीन निदेशक थे, जो कंपनी से कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करते हैं। अंशकालीन निदेशकों को किसी प्रकार के बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

ग. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक (प्रबंध निदेशक /प्रबंधक /डब्ल्येटीडी) का पारिश्रमिक:

क्र.सं	**पारिश्रमिक का विवरण #**	**प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक**			
		सीईओ#	**सीएस**	**सीएफओ**	**कुल**
1	सकल वेतन				
	2. आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन	-	1,51,583	-	-
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य		-	-	
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ	-	-	-	-
2	स्टॉक ऑप्शन	-	-	-	-
3	स्वीट क्विटी	-	-	-	-
4	कमिशन				
	- लाभ के % के रूप में	-	-	-	-
	अन्य, बताएं...	-	-	-	-
5	अन्य, कृपया बताएं	-	-	-	-
	कुल	-	-	-	-

पारिश्रमिक: उपर्युक्त तालिका में मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) का पारिश्रमिक, सुश्री पायल शर्मा के कंपनी सचिव के रूप में नियुक्ति की तिथि यथा 20 नवंबर 2017 से 31 मार्च 2018 तक है।

VI. जुर्माना/दंड/अपराधों की आवृति:

प्रकार	कंपनी अधिनियम का अनुच्छेद	संक्षिप्त विवरण	जुर्माना/दंड/अपराधों की आवृति का ब्यौरा	प्राधिकार [आरडी /एनसीएलटी /न्यायालय]	की गई अपील, यदि कोई है(ब्यौरा दें)
क. कंपनी					
जुर्माना	**शून्य***				
दंड					
कंपाउंडिंग					
ख. निदेशक					
जुर्माना	**शून्य***				
दंड					
कंपाउंडिंग					
ग. चूककर्ता अन्य अधिकारी					
जुर्माना	**शून्य***				
दंड					
कंपाउंडिंग					

*कंपनी अधिनियम, 2013 या अन्य लागू नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत कंपनी पर या उसके निदेशकों या अन्य अधिकारियों पर कोई दंड नहीं लगाया गया है और अपराधों की पुनरावृत्ति के लिए कंपनी के किसी प्रतिनिधि द्वारा शून्य आवंदनों सहित किसी प्रकार का दंड नहीं दिया गया है।

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड के
निदेशक मंडल हेतु तथा की ओर से

ह/-
दीपक सबलोक
अध्यक्ष
डीआईएन: 03056457

दिनांक : 19.09.2018
स्थान : **नई दिल्ली**

निगमित शासन रिपोर्ट

निगमित शासन (कॉरपोरेट गवर्नेंस) एक नैतिकतापूर्ण व्यवसायिक प्रक्रिया है, जो एक संगठन की धन सृजन क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से मूल्यों की प्रतिबद्ध है। सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी **"कॉर्पोरेट प्रशासन के उपायों"** के पालन पर ध्यान केंद्रित करती है ताकि कुशल व्यावसायिक कार्यप्रणाल को अपनाया जा सके और संव्यवहारों में पारदर्शिता को प्रभावी बनाया जा सके। हमारा कॉर्पोरेट प्रशासन ढांचा हमारे प्रबंधन और हमारे हितधारकों के साथ प्रभावी संबंधों को सुनिश्चित करता है और इस परिवर्तनशील समय के साथ विकसित होने में हमारी मदद करता है।

1. कंपनी का दर्शन और शासन

इरकॉन डीएचएचएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है, जिसने अपने गठन से ही अपने सत्यनिष्ठा, निर्णय निर्धारण, जवाबदेही, उपयुक्त प्रकटन और अनुपालन, पारदर्शिता का अनुपालन करने पर ध्यान केन्द्रित किया है। विविध सांविधिक प्राधिकरणों को समय पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने और निगमित प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने के लिए प्रक्रियाएं और प्रणालियां अपनाई गई हैं और उन्हें निर्धारित किया गया है। कंपनी द्वारा धारक कंपनी, इरकॉन की तर्ज पर निगमित कार्य और शासन तंत्रों के प्रबंधन के लिए कार्मिकों के मध्य क्रियात्मक आधारित भूमिकाएं सौंपी हैं।

कंपनी के शेयरधारकों और अन्य स्टेकधारकों के हितों की रक्षा के लिए कंपनी की कार्यप्रणाली पर प्रभावी नियंत्रण रखकर सुशासन का अनुसरण किया जा रहा है।

2. निदेशक मंडल

2.1 निदेशक मंडल की संरचना:-

कंपनी के संगम अनुच्छेदों (एओए) के अनुच्छेद-54 के अनुसार, निदेशक को नियुक्त करने की शक्ति धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) के पास है। तदनुसार,

धारक कंपनी ने, इरकॉन डीएचएचएल के बोर्ड में पांच गैर-कार्यपालक निदेशकों (अंशकालिक निदेशक) को नामांकन के माध्यम से नियुक्त किया है, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं	निदेशक	पूर्णकालीन/ अंशकालीन/ स्वतंत्र	नियुक्ति की तिथि	डीआईएन
1.	श्री दीपक सबलोक	अंशकालीन अध्यक्ष	11.05.2017	03056457
2.	श्री अशोक कुमार गोयल	अंशकालीन निदेशक	11.05.2017	05308809
3.	श्री आनन्द कुमार सिंह	अंशकालीन निदेशक	11.05.2017	07018776
4.	श्री राजेन्द्र सिंह यादव	अंशकालीन निदेशक	11.05.2017	07752915
5.	सुश्री अनुपम बेन	अंशकालीन निदेशक	11.05.2017	07797026

कोई भी निदेशक कंपनी की बैठक में उपस्थित होने के लिए किसी प्रकार का पारिश्रमिक या बैठक शुल्क प्राप्त नहीं करता है।

2.2 निदेशक मंडल की बैठकें और उपस्थिति -

लोक उपक्रम विभाग द्वारा जारी निगमित शासन दिशानिर्देशों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 तथा कंपनी) बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां (नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आठ बोर्ड बैठकों का आयोजन किया गया है।

उचित नोटिस जारी किए गए थे और समय पर कार्यसूची अभिलेख परिपत्रित किए गए। विशिष्ट मुद्दों के समाधन के लिए प्रस्तुत किए गए निर्धारित प्रस्तावों के साथ निदेशकों और शेयरधारकों द्वारा विचार किए जाने हेतु बोर्ड तथा शेयरधारक बैठकों में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किए गए थे।

2.3 बोर्ड की बैठकों और अन्यकंपनियों और बोर्ड समितियों में उनकेनिदेशक पद या सदस्यता सहित निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा:

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों की अनुसूची

कंपनी अधिनियम, 2013 तथा डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देश, 2010 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुपालन में

क्र.सं	बोर्ड बैठक की सं.	बोर्ड बैठकों की तिथि	पिछले बैठकों के संबंध में समय अंतराल (दिनों की संख्या)	उपस्थित सदस्यों की संख्या	अनुपस्थित सदस्यों की संख्या
1.	1	12 मई 2017	-	5	-
2.	2	25 मई , 2017	13	5	-
3.	3	13 जून, 2017	20	5	-
4.	4	11 अगस्त, 2017	60	5	-
5.	5	08 सितंबर, 2017	29	5	-
6.	6	09 नवंबर, 2017	63	5	-
7.	7	05 दिसंबर, 2017	27	4	1
8.	8	20 फरवरी, 2018	78	5	-

बोर्ड के निदेशक और निदेशक मंडल/समितियों में उनकी सदस्यता

(इस रिपोर्ट की तिथि को)

निदेशक	पूर्णकालीन/ अंशकालिक / स्वतंत्र	कंपनियों / निकाय निगमों में निदेशक पद (इरकॉन डीएचएचएल को छोड़कर)	कंपनियों / निकाय निगमों में समिति की सदस्यता (इरकॉन डीएचएचएल को छोड़कर)	
			अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
दीपक सबलोक [डिन 03056457]	अंशकालीन अध्यक्ष	8 (इरकॉन आईएसटीपीएल इरकॉन पीबीटीएल इरकॉन	1	5

		एसजीटीएल, सीईआरएल, सीईडब्ल्यूआरएल, एमसीआरएल, और इरकॉन वीकेईएल)		
अशोक कुमार गोयल [डिन 05308809]	अंशकालीन निदेशक	5 (इरकॉन ईएसटीपीएल, इरकॉन आईएसएल इरकॉन पीबीटीएल, इरकॉन एसजीटीएल और इरकॉन वीकेईएल)	4	4
आनंद कुमार सिंह [डिन 07018776]	अंशकालीन निदेशक	3 (इरकॉन पीबीटीएल, इरकॉन एसजीटीएल, और इरकॉन वीकेईएल)	2	3
राजेंद्र सिंह यादव [डिन 07752915]	अंशकालीन निदेशक	3 (इरकॉन पीबीटीएल, इरकॉन एसजीटीएल, और इरकॉन वीकेईएल)	-	5
अनुपम बेन [डिन 07797026]	अंशकालीन निदेशक	3 इरकॉन पीबीटीएल, इरकॉन एसजीटीएल, और इरकॉन वीकेईएल]	1	-

निदेशक जो निदेशक पद से कार्यमुक्त हुए

(वर्ष 2017-18 के दौरान और तत्पश्चात इस रिपोर्ट की तिथि तक)

निदेशक	पूर्णकालीन/ अंशकालिक / स्वतंत्र	कंपनियों / निकाय निगमों में निदेशक पद (इरकॉन डीएचएचएल को छोड़कर)	कंपनियों / निकाय निगमों में समिति की सदस्यता (इरकॉन डीएचएचएल को छोड़कर)	
			अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
शून्य				

टिप्पणियाँ:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निदेशकों की संख्या 20 कंपनियों (जिसमें से अधिकतम 10 सार्वजनिक कंपनियां हैं) की अधिकतम सीमा के भीतर है।

2. निदेशक एक-दूसरे से संबंधित नहीं हैं।

3. निदेशकों का कंपनी के साथ कोई विशिष्ट संबंध या लेन-देन नहीं है।

4. निदेशक पद/समिति की सदस्यता संबंधी सूचना निदेशकों से प्राप्त नवीनतम प्रकटीकरण पर आधारित है।

5. सभी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों की लेखा समितियों के सदस्यों पर विचार किया गया है।

6. डीपीई कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देश, 2010 (डीपीई दिशानिर्देश) के तहत निदेशकों की समिति की संख्या पांच अध्यक्षों की अनुमत सीमा सहित दस की अधिकतम सीमा के भीतर है। उक्त सीमा के लिए केवल लेखापरीक्षा समिति की गणना की जानी है।

7. कंपनियों के पूर्ण नाम निम्नानुसार विनिर्दिष्ट:

   क) इरकॉन - इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

   ख) इरकॉनआईएसएल - इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड

ग) आईएसटीपीएल - इरकॉन-सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड

घ) इरकॉनपीबीटीएल - इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड

ड.) इरकॉनएसजीटीएल - इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड

च) सीईआरएल - छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड

छ) सीईडब्ल्यूआरएल - छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड

ज) एमसीआरएल - महानदी कोल रेलवे लिमिटेड

झ) इरकॉनवीकेईएल - इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड

ट) इरकॉनडीएचएचएल - इरकॉन देवांगरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड

3. वर्ष 2017-18 के दौरान निदेशक मंडल की बैठक एवं उपस्थिति

बोर्ड की बैठकें दिनांक 12.05.2017, 25.05.2017, 13.06.2017, 11.08.2017, 08.09.2017, 09.11.2017, 05.12.2017 और 20.02.2018 को आयोजित की गईं। बोर्ड की बैठक के बीच अंतराल कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर था।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 167 (1) (बी) के संदर्भ में अनुपस्थिति की अनुमति दी गई थी।

वित्त वर्ष 2017- 18 के दौरान निदेशकों द्वारा आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या इस प्रकार है:

निदेशक का नाम	बोर्ड बैठकों की संख्या जिसमें उपस्थिति रहे
श्री दीपक सबलोक	8/8
श्री अशोक कुमार गोयल	8/8
श्री आनन्द कुमार सिंह	7/8
श्री राजेन्द्र सिंह यादव	8/8
सुश्री अनुपम बेन	8/8

सुश्री पायल शर्मा, कंपनी सचिव को दिनांक 20 नवंबर 2017 को नियुक्त किा गया था और उन्होंने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आयोजित 2 बैठकों में भाग लिया था।

4. निदेशक मंडल की समितियाँ:

दिनांक 31 मार्च 2018 को कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 5 लाख रूपए है और धारक कंपनी, इरकॉन को 20 करोड़ रूपए के राइट इश्यु जानी करने के कारण वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 20.05 करोड़ रूपए की वृद्धि हुई है।

इसके परिणामस्वरूप, कंपनी (बोर्ड और उसके शक्तियों की बैठक) नियम, 2014 के नियम 6 और 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और धारा 178 के अनुसार, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया और दिनांक 18 जुलाई 2018 को इनकी बैठकों आयोजित किा गया तथा कंपनी अधिनियम, 2013 तथा इसके साथ पठित इसके अंतर्गत संबंधित नियमों के साथ-साथ लोक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी निगमित शासन दिशानिर्देश, 2010 को नियमों के अनुसार संदर्भ शर्तों को निर्धारित किया गया है।

4.1 लेखापरीक्षा समिति

4.1.1 लेखापरीक्षा समिति - संदर्भ शर्तें:

1) कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक सहित किसी भी अन्य सेवाओं के लिए भुगतान हेतु सिफारिश;

2) कंपनी और सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के त्रैमासिक और वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा;

3) आंतरिक लेखापरीक्षकों और उनके आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों के निष्पादन की समीक्षा करना

4) संबंधित पक्षों के लेन-देन का अनुमोदन या तत्पश्चात संशोधन;

5) अंतर-कॉर्पोरेट ऋण और निवेश की जांच;

6) कंपनी के उपक्रमों और परिसंपत्तियों का मूल्यांकन;

7) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन;

8) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा उठाई गई टिप्पणियों की समीक्षा करना

9) पब्लिक इश्यु के माध्यम से उठाए गए धन के उपयोग और संबंधित मामलों की निगरानी करना;

4.1.2 लेखापरीक्षा समिति - संरचना:

निदेशक मंडल के अनुमोदन से बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति, जिसमें कंपनी के चार अंशकालीन निदेशक शामिल हैं, ने कंपनी के संदर्भ शर्तों को स्वीकार किया है।

समिति की वर्तमान संरचना है:

श्री आनंद कुमार सिंह - अध्यक्ष के रूप में अंशकालिक निदेशक

श्री अशोक कुमार गोयल - सदस्य के रूप में अंशकालिक निदेशक

श्री राजेंद्र सिंह यादव - सदस्य के रूप में अंशकालिक निदेशक

सुश्री अनुपम बान - सदस्य के रूप में अंशकालिक निदेशक

सुश्री पायल शर्मा, कंपनी सचिव लेखापरीक्षा समिति की सचिव हैं।

4.2 नामांकन और पारिश्रमिक समिति

4.2.1 नामांकन और पारिश्रमिक समिति - संदर्भ शर्तें:

1) वरिष्ठ प्रबंधन और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए बोर्ड को सिफारिश;

2) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) और वरिष्ठ प्रबंधन की योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं और कौशल की पहचान और मूल्यांकन, इसी प्रकार उनके पारिश्रमिक के लिए एक नीति तैयार करना;

3) कंपनी के लक्ष्यों और समीयसीमा को पूरा करने के लिए निष्पादन मापदंड, लघु और दीर्घकालिक निष्पादन उद्देश्यों की स्थापना; तथा

4) संवितरण हेतु वार्षिक बोनस / परिवर्ती वेतन पूल और नीति निर्धारित करना।

4.2.2 नामांकन और पारिश्रमिक समिति - संरचना:

कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-178 के अनुसार और डीपीई सीजी दिशानिर्देश, 2010 के पैरा 5.1 के तहत दिनांक 18 जुलाई 2018 को नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया है और जिसका ब्यौरा निम्नानुसार हैं: -

i. श्री अनुपम बान - अध्यक्ष के रूप में अंशकालिक निदेशक

ii. श्री आनंद कुमार सिंह - सदस्य के रूप में अंशकालिक निदेशक

iii. श्री राजेन्द्र सिंह यादव - सदस्य के रूप में अंशकालिक निदेशक

सुश्री पायल शर्मा, कंपनी सचिव नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सचिव हैं।

5. साधारण बैठकें

केवल दो असाधारण आम बैठक से संबंधित वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान शेयरधारकों की बैठक का ब्यौरा नीचे तालिकाबद्ध है।

तालिका-2: साधारण बैठकें

क्र.सं.	शेयरधारक बैठक का प्रकार	बैठक की तारीख	समय	स्थान	संव्यवहार हेतु	
					साधारण कार्य	विशेष कार्य
1	पहली असाधारण आम बैठक (ईजीएम)	01 जून, 2017	1500 बजे	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली	-	कंपनी के संगम अनुच्छेद के उद्देश्य खंड में संशोधन करना। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) के तहत प्रदत्त पूंजी और मुक्त आरक्षित निधि से अधिक कंपनी की उधारकर्ता शक्तियां

2	दूसरी असाधारण आम बैठक (ईजीएम)	15 जनवरी 2018	1230 बजे	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली	-	शेयर पूंजी में वृद्धि करना और परिणामस्वरूप कंपनी की समझौता ज्ञापन की में परिवर्तन करना। कंपनी के समझौता ज्ञापन में परिवर्तन।

6. प्रकटीकरण और सांविधिक शिकायतें: -

निदेशक के हित, संबंधित पक्ष संव्यवहार, सांविधिक रजिस्टरों के अनुरक्षण से संबंधित पर्याप्त प्रकटन समय-समय किया जाता है और निदेशक मंडल के समक्ष आवधिक रूप से इसे प्रस्तुत किया जाता है ताकि विशिष्ट प्रत्यायोजन की स्पष्ट नीति का अनुसरण करते हुए तथा व्यावसायिक मुद्दों की व्यवस्था हेतु नामित अधिकारियों को प्राधिकृत करके बोर्ड द्वारा उचित निर्णय लिए जा सकें। प्रकटीकरण, सूचनाओं, आवंटनों और नियुक्तियों के संबंध में एमसीए में रिपोटों को समयबद्ध आधार पर बिना किसी लंबन के प्रस्तुत किया जाता है।

7. सीईओ / सीएफओ प्रमाणन

मुख्य कार्यपालक अधिकारी और वित्त अधिकारी ने वित्तीय विवरणों की सत्यता और निष्पक्षता, उचित अनुपालन, और वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में लिखित रूप में प्रमाणित किया है जो निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था (इस रिपोर्ट में अनुबंध-ग1 के रूप में प्रस्तुत)।

8. **कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए प्रमाण पत्र**

डीपीई दिशानिर्देश, 2010 प्रमाणपत्र निर्धारित करता है जिसे कंपनी द्वारा अनुसरण की जा रही निगमित शासन दिशानिर्देशों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों से या पेशेवर कंपनी सचिव से प्राप्त यिका जाता है। (अध्याय 8: रिपोर्ट, अनुपालन और क्रियान्वयसन अनुसूची - खंड 8.2: अनुपालन)।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए उक्त प्रमाण पत्र पेशेवर कंपनी सचिव (पीसीएस), अरुण कुमार गुप्ता और एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, जिनका कार्यालय रूट्स टॉवर, प्लॉट नंबर-7, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, लक्ष्मी नगर, दिल्ली - 110092 में है, से प्राप्त किया गया है और **अनुबंध-ग2** के रूप में संलग्न है।

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड के
निदेशक मंडल हेतु तथा की ओर से

ह/-
दीपक सबलोक
अध्यक्ष
डीआईएन: 03056457

दिनांक : 19.09.2018
स्थान : नई दिल्ली

अनुबंध-ग-I

मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एवं मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) का प्रमाणन

हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास के साथ वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वित्तीय विवरणों सहित तुलन पत्र, लाभ हानि विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण की समीक्षा की है-:

(i) इन विवरणों में किसी प्रकार के सामग्रीगत असत्य विवरण या किसी तथ्यात्मक विवरण को हटाया नहीं गया है, या गुमराह करने वाले विवरण विद्यमान नहीं हैं।

(ii) ये विवरण समग्र रूप में कंपनी के कार्य का वास्तविक व सही स्थिति प्रस्तुत करते हैं तथा ये विवरण मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों तथा विनियमों के अनुपालन के अनुरूप हैं।

(iii) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के आधार पर कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई धोखाधड़ी, अवैध या कानूनों की आचार संहिता के उल्लंघन का कोई संव्यवहार नहीं किया गया है, जैसा कि कंपनी के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा अनुसरण किए जाने की सहमति हुई है।

(iv) हम आतंरिक नियंत्रण स्थापित करने व बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं तथा हमने कंपनी में एक कुशल आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तैयार की है। हमने आंतरिक नियंत्रणों और इनमें कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदमों के संबंध में लेखापरीक्षाओं तथा लेखापरीक्षा समिति को बताया है, जिनके बारे में हम जानते हैं।

(v) हमने वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों को लेखापरीक्षक तथा लेखापरीक्षा समिति को इंगित कर दिया है, और इन्हें वित्तीय विवरणों के नोटों में प्रकट कर दिया गया है, और

(vi) हमारी जानकारी में धोखाधड़ी का कोई मामला सामने नहीं आया है और ना ही कंपनी को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन या कर्मचारी के बार में ऐसी कोई जानकारी प्राप्त हुई है।

श्री नगरगौडा हनुमंथगौडा पाटिल	**श्री संजय पोद्दार**
मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ)	**संयुक्त महाप्रबंधक/वित्त**

दिनांक: 19.09.2018
स्थान: नई दिल्ली

अनुबंध-ग2

लोक उपक्रम विभाग (डीपीई) के निगमित शासन दिशानिर्देशों, 2010 के अंतर्गत निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन संबंधी प्रमाणपत्र

सेवा में,

सदस्य,

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड,

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,

नई दिल्ली-110017

दिनांक 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 2(45) (कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 2(18) तथा 617) के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी होने के कारण इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड को सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी निगमित शासन दिशानिर्देशों का अनुपालन करना अपेक्षित है।

हमने निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत उक्त कंपनी के कार्पोरेट शासन की रिपोर्ट का अध्ययन किया है। हमने कंपनी द्वारा अनुरक्षण किए गए संगत रिकार्डों एवं दस्तावेजों की भी जांच की है और इस संबंध में हमारी समीक्षा के लिए उपलब्ध कराए गए हैं।

कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच उन क्रिया विधियों और उनके क्रियान्वयन तक सीमित है जिन्हें कंपनी ने कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाया है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारे मत की अभिव्यक्ति है।

हम स्पष्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी के विरूद्ध निवेशक संबंधी कोई शिकायत नहीं है, जैसाकि कंपनी द्वारा तैयार किए गए रिकार्डों से पता चलता है।

इसके अतिरिक्त, हम स्पष्ट करते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के प्रति और न ही प्रबंधन द्वारा कंपनी के मामलों के संचालन के संबंध में दक्षता या प्रभावशीलता के प्रति आश्वासन है।

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर और हमारी समीक्षा तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश के अनुसार सभी तथ्यात्मक संदर्भ में कॉर्पोरेट शासन की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है केवल निम्न को छोड़कर यथा डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देश, 2010 के प्रावधानों के तहत स्वतंत्र निदेशकों की गैर-नियुक्ति और लेखापरीक्षा समिति और पारिश्रमिक समिति का गठन, हालांकि, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, लेखापरीक्षा और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के गठन की कोई आवश्यकता नहीं है। तथापि, कंपनी द्वारा उल्लेखानुसार स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति का कार्य प्रगति पर है।

आगे यह उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त विचार कंपनी द्वारा अनुरक्षित सहायक दस्तावेजों तथा पत्राचार फाइलों और सचिवीय व अन्य सांविधिक रिकार्डों सहित कंपनी द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर है।

कृते अरूण कुमार गुप्ता एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह/-
(अरूण कुमार गुप्ता)
एफसीएस- 5551
सीपी सं.- 5086

स्थान: नई दिल्ली
दनांक: 19.09.2019

अनुबंध-घ

अधिनियम के अनुच्छेद 134 के उप-अनुच्छेद (3) के खंड (एच) तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम,2013 के अनुच्छेद 188 के उप-अनुच्छेद (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/व्यवस्थाओं तथा इसके तीसरे प्रावधान के अंतर्गत कतिपय आर्मस लैंथ संव्यवहारों के विवरण के प्रकटन के लिए फार्म
(वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु)

क्र.सं	विवरण	ब्यौरा
1.	**आर्म लैंथ आधार पर संविदाओं या व्यवस्थाओं या संव्यवहारों का ब्यौरा**	शून्य
2.	**आर्म लैंथ आधार पर महत्वपूर्ण संविदाओं या व्यवस्थाओं या संव्यवहारों का ब्यौरा** #	शून्य
3.	संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति	
4.	संविदाओं या व्यवस्थाओं या संव्यवहारों की	
5.	संविदाओं या व्यवस्थाओं या संव्यवहारों की	
6.	मूल्य यदि कोई हो, सहित संविदाओं या व्यवस्थाओं या संव्यवहारों की प्रकृति की प्रमुख	
7.	बोर्ड द्वारा स्वीकृति की तिथि (तिथियां), यदि	
8.	अग्रिम में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड के
निदेशक मंडल हेतु तथा की ओर से

ह/-
दीपक सबलोक
अध्यक्ष
डीआईएन: 03056457

दिनांक : 19.09.2019
स्थान : नई दिल्ली

संशोधित स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड, नई दिल्ली

के सदस्य

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड ("कंपनी") के 31 मार्च 2018 को तुलन पत्र तथा इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण (वृहत आय सहित), इक्विटी परिवर्तन विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण और उक्त समाप्त वर्ष के लिए तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य विवरणात्मक सूचना के सार सहित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है।

कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") के खंड-139 (5) के अंतर्गत लेखापरीक्षा के दौरान भारत के महालेखापरीक्षक के निरीक्षण के परिणामस्वरूप दिनांक 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु इस रिपोर्ट में संशोधन किया गया है, जो कंपनी अधिनियम 2013 के खंड143 के अंतर्गत दिनांक 18 जुलाई 2018 की पूर्ववर्ती रिपोर्ट के अधिक्रमण में है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, इन वित्तीय विवरणों, जो जारी संगत नियमों के साथ पठित अधिनियम के अनुच्छेद-133 में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, लाभ और हानि (अन्यस वृहत आय सहित वित्तीय निष्पादन), रोकड़ प्रवाह और इक्विटी परिवर्तन के संबंध में वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में कंपनी

अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनुच्छेद-134 (5) में उल्लिखित विषयों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहीं थीं और वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करना है और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण भी शामिल है।

3. लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर अपने विचार अभिव्यक्ति करना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों तथा उन विषयों को ध्यान में रखा है, जिन्हें अधिनियम और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाना अपेक्षित है।

हमने अधिनियम के अनुच्छेद 143 (10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और इस तथ्य का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का नियोजन और निष्पादन करें कि क्या समेकित वित्तीय विवरण तथ्यात्मक दुर्विवरण से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटनों के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्यों को प्राप्त करने की कार्यनिष्पादन प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। प्रक्रियाओं का चयन लेखापरीक्षक के विवेक और वित्तीय विवरणों के तथ्यात्मक दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के जोखिम पर निर्भर करता है। इन जोखिम आंकलनों को करने के लिए लेखापरीक्षक कंपनी की समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है, जो सही और वास्तविक स्थिति को दर्शाते हैं, किन्तु यह विचार व्यक्त करने के प्रयोजन से नहीं कि क्या कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और ऐसे नियंत्रणों को कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जा रहा है। एक लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा नीतियों की उपयुक्तता और कंपनी के निदेशकों द्वारा बनाए गए लेखांकन अनुमानों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन और समेकित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन शामिल है।

हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारे वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा मत के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मत

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त स्टेंडएलोन वित्तीय विवरण इस अधिनियम के अंतर्गत यथापेक्षित और 31 मार्च 2018 को कंपनी की कार्यप्रणाली की भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुरूप उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु इक्विटी परिवर्तन और रोकड़ प्रवाह विवरण का सही और उचित रूप प्रस्तुत किया गया है।

1. अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143 के उप अनुच्छेद (11) की शर्तों के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (''आदेश'') द्वारा यथापेक्षित, उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण **अनुग्नक-क** के रूप में दे रहे हैं।

2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने निदेश जारी किए हैं, जिनमें कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 143 के उपखंड (5) की शर्तों की जांच किए जाने वाले क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, जिसका अनुपालन **अनुबंध-ख** में संलग्न है।

3. अधिनियम के अनुच्छेद 143(3) द्वारा यथापेक्षित हम उल्लेख करते हैं कि:

क) हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे व प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं।

ख) हमारी राय में कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित लेखा बही खातों का उचित रखरखाव किया है जैसा बही खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र और अन्य वृहत आय सहित लाभ-हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण एवं रोकड़ प्रवाह विवरण तथा इक्विटी परिवर्तन विवरण, बही खातों से मेल खाते हैं।

घ) हमारी राय में उपर्युक्त इंड एएस वित्तीय विवरण, कंपनी (भारतीय लेखंकन मानक) नियम, 2015 के के साथ पठित, अधिनियम के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

ङ) निदेशक द्वारा रिपोर्ट किए गए 31 मार्च 2018 को निदशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर, दिनांक 31 मार्च 2018 को कोई भी निदेशक अधिनियम के खंड 164(2) की शर्तों के अनुसार नियुक्ति किए जाने से गैर-अर्हक नहीं है।

च) कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और ऐसे नियंत्रण कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं और इस संबंध में "**अनुबंध-ग"** में हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें।

छ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के नियम-11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

i. कंपनी का अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदामें के प्रभाव को प्रकट किया है।

ii. डैरिवेटिव संविदाओं सहित कंपनी का कोई दीर्घकालीन संविदा नहीं है जिसके लिए किसी प्रकार की सामग्रीगत भावी हानियां थीं।

iii. ऐसी कोई राशियां नहीं थीं जिन्हें कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षा निधि में हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता हो।

कृते सोनी छत्रथ एंड एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 001092एन
नकुल सरदा
साझेदार
सदस्यता संख्या 513005
हस्ताक्ष का स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 11 सितंबर 2018

<u>स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध-क</u>

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों की समसंख्यक तिथि की संशोधित स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अंतर्गत पैरा-। कर संदर्भ लें।

1. स्थिर परिसंपत्तियों के संबंध में

दिनांक 31 मार्च 2018 को कंपनी के स्वामित्व में कोई अचल संपत्तियां नहीं है। इसलिए पैरा 3(i) की रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

2. इन्वेंटरी के संबंध में

31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी में कोई इन्वेंटरी नहीं है। इसलिए, पैरा 3(ii) की रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

3. कंपनी द्वारा दिए गए ऋणों के संबंध में

प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा लेखा बहियों की हमारी जांचों के आधार पर, कंपनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अधीन रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों को/से रक्षित या अरक्षित किसी प्रकार का ऋण न लिया है न दिया है। इसलिए, आदेश के खंड-3(iii) के अधीन अपेक्षाएँ कम्पनी पर लागू नहीं होती हैं।

4. कंपनी द्वारा किए गए ऋणो और निवेशों के संबंध में

हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसे कोई ऋण, निवेश, गारंटियां, तथा प्रतिभूतियां प्रदान नहीं की गई हैं जिनके लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 186 के प्रावधान का अनुपालन किया गया है। इसलिए आदेश का खंड 3(iv) लागू नहीं है।

5. जमाराशियों के संबंध में

हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने अधिनियम के खंड 73 तथ 76 और अन्य संगत प्रावधानों के तहत जनसाधारण से कोई जमा राशि नहीं ली है।

6. लागत रिकार्डों के अनुरक्षण के संबंध में

हमारे मतानुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपन अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित लागत रिकार्डों के अनुरक्षण का निर्धारण नहीं किया है, इसलिए पैरा 3(vi) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

7. सांविधिक देयों के संबंध में

(क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर कम्पनी सामान्यत: उपयुक्त प्राधिकारियों के पास भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर मूल्यसंवर्धन कर, सेवाकर, वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी), उपकर तथा कोई अन्य सांविधिक कर सहित लागू निर्विवाद सांविधिक दये राशियां और अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक दये राशियाँ नियमित रूप से जमा कराती हैं। कर्मचारी राज्य बीमा कंपनी पर लागू नहीं है। हमारे समक्ष प्रस्तुत सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार छह

महीनों की अवधि के लिए 31 मार्च 2018 की तारीख को कोई अविवादास्पद देय, उनके देय होने की तिथि से देय नहीं है। बिक्री कर, मूल्य संवर्धन कर, सीमाशुलक और उत्पाद शुल्क से संबंधित प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार भविष्य निधि, आयकर के संबंध में कोई महत्वपूर्ण देय, और अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय नहीं हैं, जिन्हें किसी विवाद के कारण उपयुक्त प्राधिकरणों में जमा नहीं कराया गया है।

8. ऋणों के पुनर्भुगतान के संबध में

कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान किसी वित्तीय संस्थान या बैंक या सरकार से कोई ऋण नहीं लिया है और ना ही डिबेंचरधारक के प्रति कोई देय है, ऋणों या कर्ज के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं की है। वर्ष के दौरान कंपनी का कोई बकाया डिबेंचर नहीं हैंका प्रश्न नहीं उठता।

9. आईपीओ, भावी पब्लिक ऑफर और सावधि ऋणों के संबंध में

कंपनी ने आरंभिक पब्लिक ऑफर या भावी पब्लिक ऑफर या ऋण व्यवस्था के माध्यम से कोई धन प्राप्त नहीं किया है। कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है। तदनुसार, इस आदेश के खंड 3 (ix) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

10. जालसाजी की रिपोर्टिंग के संबंध में

हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या इसके अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर जालसाजी का कोई मामला नहीं हुआ है।

11. प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के अनुसार कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान/प्रावधान नहीं किया है और इसलिए पैरा 3 (xi) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

12. निधि कंपनी की रिपोर्टिंग के संबंध में

कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है, इसलिए इस आदेश के पैरा 3 (xii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

13. संबंधित पक्ष संव्यवहारों के संबंध में

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, सभी संबंधित पक्ष संव्यवहार कंपनी अधिनियम के अनुच्छेद 177 तथा 188 के अनुपालन में है, जहां कही लागू हो और इस प्रकार के संव्यवहारों का ब्यौरा वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है जैसा कि लागू लेखांकन मानकों के अनुसार अपेक्षित है।

14. निजी प्लेसमेंट की रिपोर्टिंग शेयरों/डिबेंचरों के प्रेफरेंशियल आवंटन के संबंध में

(क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या पूर्ण या आंशित परिवर्तनीय डिबैंचरों का कोई वरियता आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है।

15. गैर-रोकड़ संव्यवहारों की रिपोर्टिंग के संबंध में

(क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिरियम, 2013 के अनुच्छेद 192 के प्रावधानों के भीतर स्वयं से संबंधित निदेशकों या व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद संव्यवहार नहीं किया है। तदनुसार आदेश का पैरा 3(xv) लागू नहीं है।

16. आरबीआई अधिनियम, 1934 के अंतर्गत पंजीकरण के संबंध में

(क) कंपन को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुच्छेद 45-1ए के अंतर्गत पंजीकृत कराए जाने की आवश्यकता नहीं है।

कृते सोनी छत्रथ एंड एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 001092एन

नकुल सरदा
साझेदार
सदस्यता संख्या 513005

हस्ताक्षर का स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 11 सितंबर 2018

<u>स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध-ख</u>

31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के इंड एएस वित्तीय विवरणों पर इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों की समसंख्यक तिथि की संशोधित स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के खंड "अन्य विधिकएवं विनियामक अपेक्षाओं पर " के अंतर्गत पैरा-2 कर संदर्भ लें।

क्र.सं	विवरण	लेखापरीक्षा का उत्तर
1.	**क्या कंपनी के पास क्रमश: फ्रीहोल्ड और लीजडीड के लिए क्लियर टाइटल/लीज डीड हैं? यदि नहीं तो कृपया फ्रीहोल्ड और लीजडीड के उन क्षेत्रों का उल्लेख करें जिनके लिए टाइटल /लीज डीड उपलब्ध नहीं है।**	कंपनी के पास दिनांक 31 मार्च 2018 को कोई अचल परिसंपत्ति नहीं है।
2.	**कृपया बताएं कि क्या वहां ऋण/उधार/ब्याज आदि, यदि कोई हो, में छूट/बट्टा खाता डाले जाने का कोई मामला है। इसका कारण और इसमें शामिल राशि का उल्लेख करें।**	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार ऋणों/उधारों /ब्याजों आदि में कोई छूट/बट्टा खाते का काई मामला नहीं है।
3.	**कृपया उल्लेख करें कि क्या पक्षों के पास उपलब्ध इन्वेंटरी तथा सरकार और अन्य प्राधिकारियों से प्राप्त उपकर के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों का उचित रिकार्ड रखा गया है?**	वर्ष के दौरान कंपनी में कोई इन्वेंटरी नहीं है। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी को सरकार या अन्य प्राधिकरणों से उपहार/अनुदान (अनुदानों) के रूप में कोई परिसम्पत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

कृते सोनी छत्रथ एंड एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 001092एन

नकुल सरदा

साझेदार

सदस्यता संख्या 513005

हस्ताक्ष का स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 11 सितंबर 2018

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध-ग

कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') के खंड 143 के उप खंड 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

31 मार्च 2018 को तथा इस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन के रूप हमने इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड (जिसे यहां आगे "कंपनी" या निगम कहा जाएगा) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (''आईसीएआई'') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश के नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं - कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्त्यिों की सुरक्षा, जालसाजी और चूकों का निवारण और संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रुप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अश्किल्प, क्रियान्वयन का अनुरक्षण शामिल हैं।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधर पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत अश्व्यिक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी, लेखांकन पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट (''दिशानिर्देश नोट'')के अनुसार लेखापरीक्षा की है और इसे शरतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के स्तर तक कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इन मानक तथा दिशानिर्देश नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के

साथ अनुपालन करें और इस प्रकार युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित औ अनुरक्षित किया गया है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सामग्रीगत पहलुओं में कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की कुशलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रिश्याएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में शामिल हैं - वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आंकलन करना कि सामग्रीगत कमजोरी मोजूद है, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अश्किल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहै जालसाजी हो या त्रुटि, के जोखिम के आंकलन सहित लेखापरीक्षा के विवेक पर निर्भर करता है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार उपलब्ध कराता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रुप से स्वीकृत वित्तीय सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए अश्किल्पित प्रकिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं (1) उन रिकार्डों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो युक्तिसंगत ब्योरे में, कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान का सटीक और उचित रुप से प्रदर्शित करता हैं। (2) युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराते हैं कि सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रुप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कि कंपनी की पावतियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए गए हैं। (3) कंपनी की परिसंपत्ति के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग, निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराना, जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रुप से प्रशवित कर सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमितताएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमितताओं में नियंत्रणों के टकराव या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावनाएं शामिल हैं, इसलिए, चूक और जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण हो सकता है और उसका पता नहीं लग पाएगा। इसके अतिरिक्ति, शवी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर होगा कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है, या कि नीतियों और प्रतिक्रिया के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

मत

हमारे मतानुसार, नियंत्रण मापदंड के उद्देश्यों की उपलब्धि पर उपर्युक्त उल्लिखित सामग्रीगत खामियों के प्रभावं/संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर सही सामग्रीगत पहलुओं में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को अनुरक्षित किया है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शरत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नष्ट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च 2018 से कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

कृते सोनी छात्रथ एंड एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 001092एन
नकुल सरदा
साझेदार
सदस्यता संख्या 513005
हस्ताक्षर का स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 11 सितंबर 2018

वित्तीय विवरण

2017-18

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड
सीआईएन- U45500DL2017GOI317401
31 मार्च 2018 को इंड एस तुलनपत्र
सभी राशियां लाख रूपए में जबतक अन्यथा उल्लिखित हो

विवरण		नोट	31 मार्च 2018 को
I.	**परिसंपत्तियां**		
1.	**गैर चालू परिसंपत्तियां**		
	(क) वित्तीय परिसंपत्यिां		
	(i) अन्य	3	245.67
	(ख) आस्थगित कर परिसपत्तियां (निवल)	4	63.32
	कुल गैर चालू परिसंपतियां		**308.99**
2.	**चालू परिसंपतित्यां**		
	(क) वित्तीय परिसिंपत्तियां		
	(i) रोकड़ एवं रोकड़ समतल्य	5	0.23
	(ख) अन्य चालू परिसंपत्तियां	6	0.43
	कुल चालू परिसंपतियां		**0.66**
	कुल परिसपतिया		**309.65**
II.	**इक्विटी एवं देयताएं**		
1.	**इक्विटी**		
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	7	5.00
	(ख) अन्य इक्विटी	8	63.07
	कुल इक्विटी		**68.07**
2.	**देयताएं देयताएं**		
	गैर- चालू देयताएं		
	(क) वित्तीय देयताएं		
	(i) अन्य	9	241.29
	(ख) अन्य चालू देयताएं	10	0.29
	कुल चालू देयताएं		**241.58**
	कुल इक्विटी एव देयताए		**309.65**
III.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार	1-2	
IV.	वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट	3-17	

संलग्न नोट वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं

हमारी संलग्न लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
कृते सोनी छत्रथ एंड एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 001092एन

निदेशक मंडल के कृते और की ओर से
इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड

नकुल सरदा
साझेदार
सदस्यता संख्या 513005

(दीपक सबलोक)
निदेशक
डीआईएन: 03056457

(अशोक कुमार गोयल)
निदेशक
डीआईएन: 05308809

(आनन्द कुमार सिंह)
निदेशक
डीआईएन: 07018776

पायल शर्मा
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 18 जुलाई 2018

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 18 जुलाई 2018

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 18 जुलाई 2018

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड
सीआईएन- U45500DL2017GOI317401
31 मार्च 2018 को समाप्त अवधि हेतु इंड एस लाभ हानि विवरण
सभी राशियां लाख रूपए में जबतक अन्यथा उल्लिखित हो

विवरण		नोट सं	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
I.	**व्यय:**		
	अन्य व्यय	11	0.25
	कुल व्यय (IV)		**0.25**
II.	**आपवादिम मदों तथा कर पश्चात लाभ/हानि (III)**		**(0.25)**
III.	आपवादिक मदें		-
IV.	करपूर्व लाभ/हानि (II - III)		**(0.25)**
V.	कर व्ययः		
	(1) चालू कर		
	- वर्ष हेतू		-
	- पूर्ववर्ती वर्षों हेतू (निवल)		-
	(2) आस्थगति कर (निवल)		(63.32)
	कुल कर व्यय (V)		**(63.32)**
VI.	**अवधि हेतु लाभ/हानि (IV - V)**		**63.07**
VII.	**अन्य वृहत आय**		
	(i) मदें जिन्हें लाभ और हानि में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-
	(ii) आयकर संबंधी मदें जिन्हें लाभ और हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-
	(i) मदें जिन्हें लाभ और हानि में वर्गीकृत किया जाएगा		-
	(ii) आयकर संबंधी मदें जिन्हें लाभ और हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा		-
	कुल अन्य वृहत आय (VII)		**-**
VIII.	**अवधि हेतु कुल वृहत आय (VI + VII)**		**63.07**
XVI.	प्रति शेयर प्रति आमदनी		
	(1) मूल		126.15
	(2) विलयित		126.15

संलग्न नोट वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं

हमारी संलग्न लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
कृते सोनी छत्रथ एंड एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 001092एन

निदेशक मंडल के कृते और की ओर से
इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड

नकुल सरदा
साझेदार
सदस्यता संख्या 513005

(दीपक सबलोक)
निदेशक
डीआईएन: 03056457

(अशोक कुमार गोयल)
निदेशक
डीआईएन: 05308809

(आनन्द कुमार सिंह)
निदेशक
डीआईएन: 07018776

पायल शर्मा
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 18 जुलाई 2018

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 18 जुलाई 2018

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 18 जुलाई 2018

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड
सीआईएन- U45500DL2017GOI317401
31 मार्च 2018 को समाप्त अवधि हेतु इंड एस रोकड़ प्रवाह विवरण
सभी राशियां लाख रूपए में जबतक अन्यथा उल्लिखित हो

विवरण		31 मार्च 2018 को समाप्त अवधि हेत
प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह		
कराधान पश्चात निवल लाभ		(0.25)
समायोजन		
ब्याज आय		-
कार्यशली पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालनिक लाभ		**(0.25)**
समायोजन		
अन्य गैर चालू परिसंपतियों में कमी / (वृद्धि		(0.43)
अन्य गैर चालू वित्तीय देयताएं में कमी / (वृद्धि		241.29
अन्य चालू देयताएं में कमी / (वृद्धि		0.29
प्रचालन से अर्जित रोकड़		**240.90**
प्रदत्त आयकर		-
प्रचालनिक गतिविधियों से निवल रोकड़	**(क)**	**240.90**
निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह		
परियोजना पर पंजीगत व्यय		(245.67)
निवेश गतिविधियों से निवल रोकड	**(ख)**	**(245.67)**
वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह		
शेयर पूंजी		5.00
वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड	**(ग)**	**5.00**
रोकड एवं रोकड समतन्य से निवल वृद्धि(कम)	**(क+ख+ग+घ)**	**0.23**
रोकड एवं रोकड़ समतन्य (आरंभिक)	**(ड.)**	
रोकड़ शेष		-
बैंकों में शेष		-
अल्पकालीन निवेश		-
रोकड एवं रोकड़ समतन्य (अंतिम)*	**(च)**	
रोकड़ शेष		-
बैंकों में शेष		**0.23**
अल्पकालीन निवेश		-
रोकड एवं रोकड समतन्य से निवल वृद्धि(कम)	**(च - ड.)**	**0.23**

संलग्न नोट वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं

हमारी संलग्न लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
कृते सोनी छत्रथ एंड एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 001092एन

निदेशक मंडल के कृते और की ओर से
इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड

नकुल सरदा
साझेदार
सदस्यता संख्या 513005

(दीपक सबलोक)
निदेशक
डीआईएन: 03056457

(अशोक कुमार गोयल)
निदेशक
डीआईएन: 05308809

(आनन्द कुमार सिंह)
निदेशक
डीआईएन: 07018776

पायल शर्मा
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 18 जुलाई 2018

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 18 जुलाई 2018

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 18 जुलाई 2018

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड
सीआईएन- U45500DL2017GOI317401
31 मार्च 2018 को समाप्त अवधि हेतु इक्विटी परिवर्तन विवरण
सभी राशियां लाख रूपए में जबतक अन्यथा उल्लिखित हो

विवरण		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
क. इक्विटी शेयर पूंजी		
11 मई 2017 को शेष		-
जमा: वर्ष के दौरान जारी शेयर		5.00
31 मार्च 2018 को शेष		**5.00**
ख. अन्य इक्विटी		
विवरण	**प्रतिधारण आमदनी**	**कुल**
11 मई 2017 को शेष	-	-
लेखांकन नीति एंव पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन	-	-
रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में शेष की पुन:बहाली	-	-
वर्ष हेत लाभ	63.07	**63.07**
अन्य वहत आय	-	-
कल वहत आय	63.07	**63.07**
लाभांश		-
लभांश संवितरण कर		-
वर्ष के दौरान जारी शेयर	-	-
31 मार्च 2018 को शेष	**63.07**	**63.07**

संलग्न नोट वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं

हमारी संलग्न लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
कृते सोनी छत्रथ एंड एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 001092एन

निदेशक मंडल के कृते और की ओर से
इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड

नकुल सरदा
साझेदार
सदस्यता संख्या 513005

(दीपक सबलोक)
निदेशक
डीआईएन: 03056457

(अशोक कुमार गोयल)
निदेशक
डीआईएन: 05308809

(आनन्द कुमार सिंह)
निदेशक
डीआईएन: 07018776

पायल शर्मा
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 18 जुलाई 2018

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 18 जुलाई 2018

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 18 जुलाई 2018

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड

सीआईएन:U45500DL2017GOI317401

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार

नोट सं.1 : निगमित सूचना

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड (इरकॉन डीएचएचएल**)** सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और यह कंपनी भारत में स्थित है । इरकॉन डीएचएचएल का निगमन भारत में लागू कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत किया गया है। कंपनी उस समय अस्तित्व में आई दिनांक 19 जून 2017 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ हस्ताक्षरित रियायत करार की शर्तों के अनुसार एनएचपीडी चरण-V के अंतर्गत डीबीएफओटी पर हाइब्राइड वार्षिकी परियोजना के रूप में निष्पादित किए जाने हेतु कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-4) के किमी 260+000 से 338+923 तक देवांगेरे - हवेरी को छह लेन के निर्माण का काम सौंपा गया था। अनुरोध प्रस्ताव" के प्रावधानों के अनुसार, चयनित बोलीदाता 'इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड' ने दिनाक 11 मई, 2017 को इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड के नाम से एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) का गठन किया है। तदनुसार, इरकॉन डीएचएचएल ने दिनांक 19 जून 2017 को एनएचएआई के साथ रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उक्त करार की शर्तों के अनुसार आईडीएचएचएल का दायित्व है कि वह देवांगेरे हवेरी खंड के छह लेन की परियोजना का निर्माण कार्य पूरा करे और उन सभी परिसंपत्तियों, जिनका जीवनकाल समाप्त हो गया है, सहित परियोजना की सभी परिसंपत्तियों को उचित कार्यशील अवस्था में बनाए रखे।यह परियोजना वार्षिकी आधार पर है और वाणिज्यिक प्रचालज तिथि से 15 वर्षों की अवधि तक आईडीएचएचएल के प्रचालनाधीन रहेगी। इसके लिए भुगतान वार्षिकी आधार पर किया जाएगा

जो इस करार के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति पर देय होगा। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय सी-4, डिस्ट्रिक्ट केंद्र, साकेत, नई दिल्ली-110017 में स्थित है।

नोट सं.2. महत्वपूर्ण नीतियां का सार

(क) तैयारी का आधार

(i) अनुपालन रिपोर्ट

कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2018 को और इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों को कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधित नियम, 2016 के साथ पठित अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के अनुसार तैयार किया है।

(ii) **मापन का आधार**

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत अभिसमय और संचित आधार पर तैयार किया गया है, केवल संगत इंड एएस द्वारा यथापेक्षित उचित मूल्य पर स्वीकृत कतिपय वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को छोडकर (संदर्भ नोट सं.16)।

i. कतिपय वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को उचित मूल्य पर मापा गया है।

(iii) अनुमानों और निर्णय का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को इंड एएस के अनुरूप तैयार किए जाने के लिए प्रबंधन को ऐसे निर्णय, अनुमान तथा संभावनाएं प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग तथा वित्तीय विवरणों की तिथि को परिसंपत्तियों, देयताओं, की रिपोर्टिंग राशि तथा आकस्मिक परिसंपत्तियों और देयताओं के अनुप्रयोग को प्रभावित करे। वास्तविक परिणाम उनके अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

प्रमुख लेखांकन अनुमान और निर्णय

- वित्तीय माध्यम का उचित मूल्य मापन
- परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्त्यिों का उपयोगी जीवनकाल
- निर्माण संविदाओं के समापन के प्रतिशत का भेदभाव
- गैर वित्तीय परिसंपत्त्यिों की हानि
- वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि
- आस्थगित और चालू कर का अनुमान

प्राक्कलनों और अंतर्निहित पूर्वानुमानों की समीक्षा आवधिक रूप से की जाती है। इन अनुमानों में परिवर्तनों और उक्त परिणामों व इस अवधि के लिए स्वीकृत अनुमानों, जिसमें परिणाम ज्ञात/सामग्रीगत होते हैं, के बीच अंतरों के कारण भावी परिणाम भिन्न हो सकते हैं।

सभी वित्तीय सूचवनाओं को भारतीय रूपए में प्रस्तुत किया गया है और सभी मूल्यों कों दो दशम्लव तक निकटत करोड़ रूपए में राउंड ऑफ किया गया है, केवल वहां छोडकर जहां अन्यथा उल्लिखित हो।

(ख) रोकड़ प्रवाह विवरण

रोकड़ प्रवाह विवरण को अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत किया जाता है, जिसके द्वारा गैर–रोकड़ प्रकृति के संव्यवहारों तथा भावी रोकड़ प्राप्तियों या भुगतानों के किसी आस्थगित या बीमांकक के संव्यवहारों को प्रभावित करने से पूर्व लाभ/(हानि को) समायोजित किया जाता है। कंपनी के प्रचालन, निवेश तथा वित्तीय गतिविधियों को उपलब्ध सूचना के आधार पर पृथक किया जाता है।

(ग) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(1) फ्रीहोल्ड भूमि को ऐतिहासिक लागत पर वहन किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को लागत घटा संचित मूल्यह्रास तथा गैर वसूली योग्य घाटों, यदि कोई हो, पर मापा जाएगा।

(2) मशीनरी कलपुर्जे जिनका प्रयोग केवल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंध में हो सकता है और ऐसी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के शेष जीवनकाल पर इनका प्रयोग अनियमित और पूंजीकृत तथा मूल्यह्रासित/परिशोधित किए जाने की संभावना हो।

(3) परिसंपत्ति की लागत में निम्नलिखित शामिल हैं:

क. परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर प्रत्यक्ष रूप से आरोपित लागत।

ख. निर्माण अवधि के दौरान आकस्मिक व्यय को उस स्तर तक निर्माण की प्रत्यक्ष लागत के रूप में पूंजीकृत किया जाएगा जिस स्तर पर वह निर्माण या इसकी आकस्मिकता से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है।

ग. वस्तुओं को उस स्थल से विखंडित करने और हटाने की अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य, यदि स्वीकृति मापदंड को पूरा किया जाए।

(4) प्रतिस्थापन की लागत, प्रमुख निरीक्षण, महत्वपूर्ण कलपूर्जों की मरम्मत तथा दीर्घकालीन निर्माण परियोजनाओं की ऋण लागत को पूंजीकृत किया गया है, यदि स्वीकृति मापदंड को पूरा किया जाए।

(5) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की कोई मद और कोई महत्वपूर्ण भाग जिसे आरंभिक रूप में स्वीकार किया गया है, को उसके निपटान या जब उसके प्रयोग या निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना न हो, पर उसे अस्वीकार किया गया है। परिसंपत्ति को अस्वीकार करने पर उत्पन्न कोई लाभ या हानि (निवल निपटान राशि और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में परिकलित) को आयकर में शामिल किया गया है।

(6) प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को बकाया संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के अधिग्रहण के प्रति प्रदत्त राशियां और उन संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत, जो उस तिथि से पूर्व वांछित प्रयोग के लिए तैयार नहीं है, को प्रगतिरत पूंजीगत कार्यों के अंतर्गत प्रकट किया जाएगा। वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ होने से पूर्व परियोजनाओं के प्रति प्रत्यक्ष व्यय को परियोजना विकास व्यय के रूप में देखा जाएगा और उन्हें प्रगतिरत पूंजीगत कार्यों के अंतर्गत दर्शाया जाएगा।

मूल्यह्रास

परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–।। में विनिर्दिष्ट अनुसार परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल पर सीधी रेखा आधार (एमएलएम) पर प्रावधान किया गया है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद के प्रत्येक भाग को पृथक रूप से मूल्यह्रासित किया जात है। यदि उस भाग का मूल्य मद की कुल लागत के सापेक्ष में महत्वपूर्ण भाग है और उस भाग का उपयोगी जीवन अन्य शेष परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन से भिन्न है।

पट्ट वाली भूमि तथा उसमें परिशोधनों को उनके अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और पट्टा अवधि पर परिशोधित किया जाएगा।

मूल्यह्रास अवधियों, उपयोगी जीवनकाल और शेष मूल्यों की समीक्षा तथा भावी समायोजन, यदि उपयुक्त हो, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाएगी। सामान्य रूप से परिसम्पत्ति का शेष मूल्य कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–।। में विनिर्दिष्ट अनुसार परिसंपत्ति के मूल लागत के 5 प्रतिशत तक होगा।

वर्ष के दौरान अधिग्रहित सम्पति संयंत्र और उपकरण, जिनकी लागत पृथक रूप से 5000 रूपए तक है, को चिह्नन के लिए 1 रूपए के सांकेतिक मूल्य पर मूल्यह्रासित किया जाएगा। तथापि, कर्मचारियों को उपलब्ध कराए गए मोबाईल फोन को राजस्व में प्रभारित किया जाता है, चाहे उसका मूल्य कुछ भी हो।

(घ) अमूर्त परिसंपत्तियां और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

1. सेवा रियायत करार से इतर अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियों को तब स्वीकार किया जाता है जब यह संभावना हो कि परिसंपत्ति से संबंधित भावी आर्थिक लाभ निकाय को प्राप्त होंगे, और उक्त मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकेगा। अमूर्त परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत घटा संचित परिशोधन एवं संभावित हानि, यदि कोई हो पर वर्णित किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन

अमूर्त परिसंपत्तियों को उपयोग के लिए उनके उपलब्ध होने की तिथि से सीधी रेखा आधार पर उनके संबंधित उपयोगी जीवनकाल पर परिशोधित किया जाएगा।

अमूर्त परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवनकालः

अमूर्त परिसंपत्तियां	उपयोगी जीवनकाल	स्वःसृजित/अधिग्रहित
साफ्टवेयर	36 माह	अधिग्रहित

परिशोधन विधि, उपयोगी जीवनकाल और शेष मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाएगी।

प्रत्येक मामले में 1 लाख रूपए की साफ्टवेयर लागत को चिह्नन के लिए 1 रूपए के सांकेतिक मूल्य रखते हुए क्रय के वर्ष में पूर्णत परिशोधित किया जाएगा।

(ड.) रोकड़ एवं बैंक अधिशेष

तुलन पत्र में रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में शामिल हैं बैंक में नकद, उपलब्ध नकद, तीन महीने या कमी की मूल परिवक्वता वाले बैंकों के अन्य अल्पकालीन जमा राशियां, जो मूल्य में परिवर्तन के अपर्याप्त जोखिम के मद्देनजर हैं

रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य से रोकड़ व रोकड़ समानान्तर में रोकड़, अल्पकालीन बैंक जमा राशियां आदि शामिल हैं जैसाकि ऊपर परिशषित किया गया है तथा बकार्यो बैंक ओवरड्राफ्ट का निवल परिभाषितानुसार रोकड़ तथा बैंक शेष, बैंक ओवरड्राफ्ट का योग शामिल होता है।

(च) प्रावधान

प्रावधान को उस समय स्वीकार किया जाता है जबः

i) पूर्ववर्ती घटना के परिणामों के रूप में समूह का वर्तमान दायित्व स्थापित हो,

ii) दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गमन की संभावना हो, और

iii) दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके।

जब एक प्रावधान को प्रति संविदा प्रावधान के रूप में स्थापित कर लिया जाता है, या जब यह निश्चित रूप से सुनिश्चित हो जाता है कि धन वापसी प्राप्त हो जाएगी, अपेक्षित व्यय निपटान के लिए धन वापसी का प्रावधान किया जाता है।

प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को प्रावधानों की समीक्षा की जाती है।

प्रावधानों का खंडन

उपर्युक्त बिंदु क, ख तथा ग में स्वीकृत प्रावधान, जिनकी 12 महीनों से अधिक की अवधि में निपटान होने की संभावना है, को प्रिटैक्स रियायत दर का प्रयोग करके वर्तमान मूल्य पर मापित किया गया है जो देयाता के प्रति विशिष्ट जोखिमों को दर्शाते हैं। समय के साथ प्रावधान में वृद्धि को ब्याज व्ययों के रूप में स्वीकार किया गया है।

(छ) राजस्व मान्यता

राजस्व को उस स्तर तक स्वीकार किया जाता है जहां संभावना है कि आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और राजस्व को सुदृढता से मापा जा सकता है।

प्रचालन राजस्व

एससीए के तहत निर्माण संविदा राजस्व

सेवा रियायत व्यवस्था के तहत निर्माण या उन्नयन सेवाओं से संबंधित राजस्व को चरणबद्ध आधार पर स्वीकृति दी जाती है।कार्य पूरा होने पर जब निर्माण संविदा के परिणाम को सुदृढता से मापा जा सकता है और जहाँ निर्माण संविदा के परिणाम को मापा नहीं जा सकता है वहां सुदृढ राजस्व केवल संविदा लागत की सीमा तक मान्यता प्राप्त है।

अन्य राजस्व मान्यता

भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने पर लाभांश आय को स्वीकृति दी जाती है।

ब्याज आय को बकाया राशि और प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके लागू ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए स्वीकार किया जाता है।

(ज) गैर-वित्तीय संपत्तियों की हानि

किसी परिसंपत्ति को हानिकर माना जाता है जब परिसंपत्तियों की वहन लागत अपने पुनर्प्राप्त करने योग्य मूल्य से अधिक हो जाती है और हानि का नुकसान उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण के लिए स्वीकार किया जाता है जिसमें किसी परिसंपत्ति को हानिकर माना जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर कंपनी हानि की अनुमानित राशि का आकलन करती है। पूर्व लेखा अवधि में मान्यता प्राप्त हानि प्रतिकर है अगर वसूली योग्य राशि के अनुमान में बदलाव हुआ है और ऐसे नुकसान या तो मौजूद नहीं हैं या कम हो गए हैं। हानिकर के प्रतिकर लाभ और हानि के विवरण में स्वीकार किया जाता है।

(झ) उधार लागतें

सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया में उधार लागतों को व्यय के रूप में प्राभारित किया जाता है, जिस अवधि में वे व्यय किए गए हैं। अधिग्रहण, अर्हक परिसंपत्ति के निर्माण या उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से होने वाली उधार लागत को वाणिज्यिक प्रचालनों के आरंभ होने तक ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

(ट) कर्मचारी लाभ

(1) अल्पकालीन कर्मचारी लाभ

प्रदान की गई सेवा के लिए भुगतान किए जाने वाले अनुमानित अल्पकालीन कर्मचारी लाभों को अरियायती राशि को उस अवधि का व्यय माना जाता है जिस अवधि में कर्मचारी ने सेवा प्रदान की है।

(2) सेवापूर्व लाभ और अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

धारक कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा सेवापूर्व लाभ और अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ प्रदान किए जाते हैं जब कर्मचारी प्रतिनियक्ति पर होते हैं।

(ठ) पट्टा

(1) पट्टेदार के रूप में कंपनी

वित्तीय पट्टाः–

(i) जो व्यापक स्तर पर सभी जोखिमों और प्रतिफलों को आकस्मिक रूप से परिसंपत्ति के स्वामित्व पर हस्तांतरित करता है।

(ii) जो न्यूनतम पट्टा भुगतान के उचित मूल्य या वर्तमान मूल्य के निम्नतर पर पट्टा आरंभ पर पूंजीकृत किया जाता है।

(iii) भुगतानों को वित्तीय प्रभारों और पट्टा देयता में कमी के बीच विभाजित किया जाता है ताकि देयता की शेष राशि पर ब्याज की स्थिर दर प्राप्त की जा सके।

(iv) वित्तीय प्रभारों को लाभ और हानि विवरण में वित्तीय लागतों पर स्वीकार किया गया है।

(v) परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रासित। तथापि, यदि पट्टा अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त करने की कोई युक्तिसंगत निश्चितता नहीं है तो, परिसंपत्ति को अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और पट्टा अवधि में से कम अवधि पर मूल्यह्रासित किया जाता है।

प्रचालन पट्टा :

(i) वे पट्टे हैं जिसमें कंपनी स्वामित्व के सभी जोखिमों और प्रतिफलों को व्यापक रूप से पट्टादाता को हस्तांतरित नहीं करती है

(ii) कार्य को पट्टा अवधि पर सीधी–रेखा आधार पर लाभ और हानि विवरण में आय के रूप में स्वीकार किया जाता है केवल उस स्थिति को छोड़कर जहां पट्टा भुगतान को संभावित मुद्रास्फीति लागत वृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति हेतु संभावित सामान्य वृद्धि की तर्ज पर बढाने के लिए निर्धारित किया जाता है।

(ङ) चालू आयकर

(i) चालू आय सहित करों की राशि का निर्धारण लागू कर दरों और कर कानूनों के अनुसार किया जाता है।

(ii) राशि के परिकलन के लिए प्रयेक्त कर दरें और कर कानून वे हैं जिन्हें उन देशों में रिपोर्टिंग तिथि को पारित या विशिष्ट रूप से पारित किया गया है जहां कंपनी प्रचालन कर रही है और करयोग्य आाय का सृजन हो रहा है।

(iii) चालू तथा पूर्व अवधियों के लिए चालू आयकर परिसंपत्तियों और देयताओं का आकलन वसूली की संभावित राशि या कर प्राधिकारियों को भुगतान की गई राशि पर किया जाता है। अतिरिक्त कर के लिए देयता, यदि कोई हो, का प्रावधान/भुगतान तक किया जाता है जब आकलन पूरे हो जाते हैं।

(iv) ओसीआई मदों के संबंध में चालू कर को अन्य वृहत आय में स्वीकृत किया जाता है।

ण) आस्थगित कर

(i) आस्थगित आय कर को आगामी तुलनपत्र का प्रयोग करते हुए स्वीकार किया जाता है।

(ii) आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों और देयताओं को अस्थायी अंतर पर स्वीकार किया जाता है, जिसका परिकलन कर दरों और कर कानूनों के प्रयोग से किया जाता है जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि को पारित या विशिष्ट रूप से पारित किया गया है।

(iii) आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों को यथा संभव उस स्तर तक स्वीकार किया जाता है जहां करयोग्य लाभ उपलब्ध हो जिसके प्रति कटौतीयोग्य अस्थायी अंतरों, तथा अप्रयुक्त कर ऋणों और अप्रयुक्त कर घाटों के कैरीफार्वड को प्रयोग किया जा सके।

(iv) आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की प्रतिधारण राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है और उस स्तर तक इसे कम किया जाता है जहां यह संभावना न रहे कि उपयोग की जाने वाली आस्थगित आयकर परिसंपत्ति या उसका भाग उपयुक्त कर लाभ के लिए उपलब्ध होगा।

(v) ओआईसी मद से संबंधित आस्थगित कर को अन्य वृहत आय (ओसीआई) में स्वीकार किया जाता है।

(त) प्रचालन सेगमेंट

प्रचालन सेगमेंट को इस रूप में रिपोर्ट किया जाता है जो मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक को उपलब्ध आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुसार हो। तदनुसार, कंपनी ने भौगोलिक स्थल के आधार पर एक प्रचालनिक रिपोर्टिंग सेगमेंटों की पहचान की है।

(थ) प्रति शेयर आमदनी

प्रति शेयर मूल आमदनी निर्धारित करने के लिए, समूह इक्विटी शेयरधारकों के प्रति निवल लाभ पर विचार करता है। प्रति शेयर मूल आमदनी के परिकलन में प्रयुक्त शेयरों की संख्या उस अवधि के दौरान बकार्यों शेयरों की संख्या का औसत है।

प्रति शेयर विलयित आमदनियों के निर्धारण के लिए, इक्विटी शेयरधारकों के प्रति निवल लाभ और इस अवधि के दौरान बकार्यों शेयरों की औसत संख्या को सभी विलयित संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

(द) क्रियात्मक मुद्रा

वित्तीय विवरणों में शामिल मदों को उस राष्ट्र की प्रधान अर्थव्यवस्था के पर्यावरण की मुद्रा का प्रयोग करते हुए परिवर्तित किया जाता है, जहां कंपनी प्रचालन कर रही है (यथा क्रियात्मक मुद्रा)। वित्तीय विवरणों को भारतीय रूपए में प्रस्तुत किया जाता है, जो कंपनी की प्रतिपादन और क्रियात्मक मुद्रा है।

विदेशी मुद्रा संव्यवहार

सभी भारतीय मुद्रा संव्यवहारों को संव्यवहार तिथि को प्रचलित दर पर क्रियात्मक मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण, अमूर्त परिसंपत्ति, निवेश संपत्ति,पूर्वप्रदत्त व्ययों, दरसूची, गैर–मौद्रिक मदों को आरंभिक संव्यवहार की तिथि की दर पर परिवर्तित किया जाता है।

मौद्रिक मदों (व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, रोकड़ और बैंक, ऋण तथा कर्ज और अन्य प्राप्य और भुगतानयोग्य) को ऐसी रिपेर्टिंग तिथि को देयताओं हेतु प्रचलित समापन बिक्री दर तथा परिसंपत्तियों को समापन क्रय दर पर परिवर्तित किया जाता है।

उपर्युक्त संव्यवहारों के संबंध में विदेशी मुद्रा लाभ या हानियों को लाभ व हानि विवरणों में स्वीकार किया गया है।

(ध) आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक सम्पतियाँ

आकस्मिक देयताओं का प्रकटन निम्नलिखित किसी भी मामले में किया जाता है।

i. भूतपूर्व घटना से वर्तमान दायित्व उत्पन्न हों, जब यह संभव न हो कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गम की आवश्यकता हो; या

ii. वर्तमान दायित्व में विश्वसनीय अनुमान लगाना संभव न हों; या

iii. एक संभावित दायित्व में बशर्ते संसाधनों के निर्गम की संभावना न्यूनतम हो।

आकस्मिक संपत्तियों की ना तो पहचान हो सके, ना ही प्रकटन।

आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक संपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को की जाती है।

आकस्मिक देयता निपटान पर संभव आउटफ्लो को ध्यान मे रखते हुए निवल अनुमानित प्रावधान है।

(न) उचित मूल्य मापन

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को उचित मूल्य पर वित्तीय माध्यमों को मापती है। उचित मूल्य वह कीमत है जो परिसंपत्ति की बिक्री या देयता के अंतरण के लिए भुगतान हेतु मापन तिथि को बाजार भागीदारों के बीच व्यवस्थित संव्यवहार से प्राप्त होता है। उचित मूल्य मापन इस अनुमान पर आधारित है कि परिसंपत्ति की बिक्री या देयताओं के अंतरण का संव्यवहार इनमें से किसी रूप में निष्पादित होगाः

- परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रमुख बाजार, या
- प्रमुख बाजार की अनुपस्थिति में, बाजार या देयता के लिए सर्वाधिक लाभपूर्ण बाजार।

प्रमुख या सर्वाधिक लाभपूर्ण बाजार कंपनी के लिए सुगम्य होना चाहिए। परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य का मापन इस अनुमान के साथ किया जाता है कि बाजार भागीदार यह इसका प्रयोग परिसंपत्ति या दायित्व के मूल्य निर्धारण हेतु, इस अनुमान के साथ कि बाजार भागीदार अपने सर्वोत्तम आर्थिक हितों पर कार्य करेंगे। कंपनी उन मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करती है जो उन परिस्थितियों में उपयुक्त होते हैं और जिसके लिए उचित मूल्य मापन हेतु पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हैं, जिससे संगत अवलोकनीय जानकारियों के अधिकतम प्रयोग और अनावश्यक जानकारियों के निम्नतम प्रयोग को संभव बनाया जा सके।

परिसंपत्तियां और देयताएं जिसके लिए वित्तीय विवरण में उचित मूल्य को मापा या प्रकट किया जाता है, को समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम

स्तर के इनपुट के आधार पर निम्नानुसार वर्णित उचित मूल्य क्रम के भीतर श्रेणीबद्ध किया जाता है।

– स्तर 1 – कोट किया गया (समायोजित) समरूपी परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रीय बाजारों में बाजार मूल्य।

– स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीकें, जिनके लिए उचित मूल्य मापन हेतु महत्वपूर्ण निम्नतर स्तर इनपुट का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन किया जाता है।

– स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीकें, जिनके लिए एचित मूल्य मापन हेतु महत्वपूर्ण निम्नतर स्तर इनपुट गैर अवलोकन किया जाता है।

आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में स्वीकृत परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए, कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में पुनःआंकलन श्रेणीकरण (निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर जो समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है) द्वारा निर्धारित करती है कि क्या इस पदक्रम के स्तरों के बीच अंतरण हुए हैं।

रिपोर्टिंग तिथि को, कंपनी परिसंपत्तियों और देयताओं के मूल्यों के संचलन का विश्लेषण करती है, जिसकी आवश्यकता लेखांकन नीतियों के अनुसार पुनःमापन या पुनःआकलन के लिए होती है। इस विश्लेषण के लिए, कंपनी संविदाओं और अन्य संगत अभिलेखों के मूल्यांकन परिकलन की सूचना से सहमत होकर अद्यतन मूल्यांकन में लागू प्रमुख इनपुटों को सत्यापित करती है।

कंपनी संगत बाहरी स्रोतों से प्रत्येक परिसंपत्ति और दायित्व के उचित मूल्य में परिवर्तन की तुलना भी करती है ताकि निर्धारित किया जा सके कि परिवर्तन युक्तिसंगत है।

उचित मूल्य प्रकटनों के प्रयोजन से, कंपनी परिसंपत्तियों या देयताओं की प्रकृति, विशेषताओं और जोखिमों तथा उपर्युक्त मूल्य क्रम के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों और देयताओं की श्रेणियों का निर्धारण करती है।

(प) **इक्विटी धारकों को लाभांश**

प्रदत्त/देय लाभांश को उस वर्ष के लिए स्वीकार किया जाताा है, जिस वर्ष संबंधित लाभांशों को यथा उपयुक्त निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

(फ) **वित्तीय माध्यम**

i. आरंभिक स्वीकृति और मापन

वित्तीय माध्यमों को उचित मूल्य जमा या घटा संव्यवहार लागतों पर स्वीकृत किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय माध्यमों के अधिग्रहण या जारी करने से संबंधित हैं।

ii. **अनुवर्ती मापन**

वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता हैः

परिशोधित मूल्य पर

ऋण माध्यमों को परिशोधित लागत पर मापा जाएगा यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैंः

क) वित्तीय परिसंपत्ति व्यवसाय मॉडल के भीतर ही धारित है जिसे परिसंपत्ति से संविदागत रोगड़ प्रवाह एकत्रित करने के उद्देश्य से धारित किया गया है और

ख) परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह के लिए विशिष्ट तिथियों को निर्धारित करती हैं जो विशिष्ट रूप से बकार्यों मूल राशि पर मूल और ब्याज का भुगतान है।

ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन प्रभावी ब्याज दर विधि घटा हानि, यदि कोई हो, का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर किया जाता है।

अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई)

ऋण माध्यम को अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाता है यदि निम्नलिखित दोनों मापदंड पूरे होते हैं:

क. व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदागत रोकड़ प्रवाहों को एकत्रित करके तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के बेचकर दोनों माध्यमों द्वारा प्राप्त किया जाता है, और

ख. रिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह विशिष्ट रूप से मूल और ब्याज के भुगतान (एसपीपीआई) को प्रस्तुत करती हैं।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के भीतर शामिल ऋण उपकरणों को उचित मूल्य पर आरंभिक स्तर पर तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मापा जाता है। उचित मूल्य संचलनों को अन्य वृहत आय (ओसीआई) में स्वीकार किया जाता है। तथापि, लाभ और हानि विवरण में कंपनी ब्याज आय, परिशोधित हानियों और प्रतिक्रमों तथा विदेशी विनिमय लाभ या हानि को स्वीकार करती है। परिसंपत्तियों को गैर–स्वीकार करने पर ओसीआई में पूर्व में स्वीकृत संचित लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में इक्विटी से पुनःवर्गीकृत किया जाता है। अर्जित ब्याज को ईआईआर विधि का प्रयोग करते हुए स्वीकार किया जाता है।

लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)

एफवीटीपीएलप ऋण माध्यमों के लिए अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण माध्यम, जो परिशोधित लागत या एफवीओसीआई के रूप में श्रेणीकरण के मापदंड को पूरा नहीं करता है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ऋण माध्यमों को नामित करने के लिए चयन कर सकती है, जो अन्यथा एवीटीपीएल पर परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई मापदंड को पूरा करते हैं। ऐसा करने पर मापन या अस्थायी स्वीकृति कम होती है या समाप्त हो जाती है। कंपनी ने एवीटीपीएलके रूप मं किसी वित्तीय परिसंपत्ति को पृथक नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी के अंतर्गत शामिल वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

वित्तीय देयताएं

परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

प्रभावी ब्याज दर विधि पर व्यापार तथा अन्य देयों, प्रतिभूति जमा राशियों और प्रतिधारण राशियों के रूप में परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं को आरंभिक तौर पर उचित मूल्य पर और तत्पश्चात परिशोधित लागत पर प्रतिधारित किया जाता है

एफवीटीपीएल पर वित्तीय देयताएं

कंपनी एफवीटीपीएल पर किसी वित्तीय परिसंपत्तियों को नामित नहीं करती है।

गैर–स्वीकार्यता

वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का भाग या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का भाग) को केवल तभी गैर–स्वीकृत किया जाता है जब परिसंपत्ति से रोकड़ प्रवाह का संविदागत अधिकार समाप्त हो जाता है या वह व्यापक स्तर पर वित्तीय परिसपत्तियों को अंतरित करता है या परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों या लाभों को अंतरिक करता है।

वित्तीय देयता

वित्तीय देयता को गैर–स्वीकृत तब किया जाता है जब देयता के अंतर्गत दायित्व का निर्वाहन हो जाता है या वह रद्द हो जाता है या समाप्त हो जाता है। जब व्यापक रूप से भिन्न शर्तों पर या मौजूदा देयताओं की शर्तों पर व्यापक आशोधनों द्वारा मौजूदा वित्तीय देयता को समान ऋणदाता से अन्य वित्तीय देयता के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है तो ऐसे विनियम या आशोधन को मूल देयता की गैरस्वीकृति माना जाएगा और नए देयता को स्वीकार किया जाएगा, तथा संबंधित प्रतिधारण राशि में अंतर को लाभ और हानि विवरण में स्वीकार किया जाएगा।

(ब) वित्तीय विवरणों की हानि

कंपनी क्षतिपूर्ण हानि के मापन तथा स्वीकृति के लिए संभावित ऋण घाटा मॉडल का प्रयोग करती है। कंपनी व्यापार प्राप्य पर क्षतिपूर्ण घाटा भत्ते की स्वीकृति के लिए सरलीकृत परिदृश्य का अनुसरण कर रही है। सरलीकृत परिदृश्य के अनुप्रयोग के लिए कंपनी को ऋण जोखिम में रेलपथ परिवर्तनों की आवश्यकता नहीं है । बल्कि वह आरंभिक स्वीकृति से ही प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को जीवनभर ईसीएल के आधार पर क्षतिपूर्ण घाटे को स्वीकार किया है।

कंपनी परिशोधित लागत और एफवीटीओसीआई ऋण माध्यमों पर प्रतिधारित परिसंपत्तियों के साथ संबद्ध अनुमानित ऋण घाटों के आधार पर आकलन करती है।

इस अवधि के दौरान स्वीकृत ईसीएल क्षतिपूर्ण घाटा भत्ते (रिवर्सल पर) को लाभ और हानि विवरण में आय/व्यय के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड
सीआईएन- U45500DL2017GOI317401
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों संबंधी नोट
सभी राशियां लाख रूपए में जबतक अन्यथा उल्लिखित हो

नोट सं. 03 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेत
गैर चालू	
(अरक्षित एवं वसूली योग्य)	
परिशोधित लागत पर वहन वित्तीय परिसंपत्तियां	
एससीए के अनुसार किया गया निर्माण व्यय (संदर्भ नोट सं. 14)	245.67
कुल	**245.67**

किए गए निर्माण लागत का ब्यौरा:

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेत
कर्मचारी लागत	4.26
विधिक एवं पेशेवर	0.35
मुद्रण एवं स्टेशनरी	0.27
किराया (गैर आवासीय)	1.84
यात्रा और कन्वेयेंस	0.03
बैंक गारंटी और अन्य प्रभार	3.02
एजेंसी को प्रदत्त जीएसटी	0.33
निरीक्षण, भू-तकनीकी एवं सर्वेक्षण व्यय	45.20
प्राथमिक व्यय	190.37
कुल	**245.67**

नोट सं. 04 : आस्थगित कर देयता

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेत
आस्थगित कर परिसंपत्ति	63.32
घटा: आस्थगित कर देयता	-
कुल	**63.32**

31 मार्च 2018 को समाप्त अवधि	आरंभिक	लाभ हानि में स्वीकृत	अन्य वृहत आय में स्वीकृत	समापन शेष
निम्न संबंधी आस्थगित कर परिसंपत्तियां :				
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	63.26	-	63.26
घाटों का अग्रेणीत	-	0.06	-	0.06
कुल	**-**	**63.32**	**-**	**63.32**

नोट सं. 05 : रोकड एवं रोकड समतुल्य

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेत
बैंकों में शेष:	
- चालू खातों में	0.23
उपलब्ध रोकड़	-
कुल	**0.23**

नोट सं. 06 :अन्य चालू परिसंपत्तियां

	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेत
प्रदत्त व्यय	0.37
सरकारी प्राधिकारियों के पास शेष	0.06
कुल	**0.43**

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड
सीआईएन- U45500DL2017GOI317401
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों संबंधी नोट
सभी राशियां लाख रूपए में जबतक अन्यथा उल्लिखित हो

नोट सं. 07 : इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च 2018 को
प्राधिकत शेयर पंजी	
21,70,50,000 इक्विटी शेयर प्रति 10 रूपए	21,705.00
कुल	**21,705.00**
जारी/अंशदायी और प्रदत्त शेयर पूंजी	
50,000 इक्विटी शेयर प्रति 10 रूपए पर्णत प्रदत्त	5.00
कुल	**5.00**

कंपनी में 5% से अधिक की धारिता वाले शेयरधारकों का ब्यौरा

विवरण	31 मार्च 2018 को	
	शेयरों की संख्या	% धारिता
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी)	0.50	100%
कुल	**0.50**	**100%**

इक्विटी शेयरों की संख्या और इक्विटी पूंजी का समायोजन

विवरण	31 मार्च 2018 को	
	शेयरों की संख्या	% धारिता
अवधि के आरंभ में बकाया इक्विटी शेयर	-	-
जमा: वर्ष के दौरान जारी शेयर	0.50	5.00
31 मार्च 2018 को बकाया इक्विटी शेयर	**0.50**	**5.00**

इक्विटी शेयरों से संबद्धशर्तें/अधिकार:

(क) मतदान :
कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है जिसका प्रति शेयर 10 रुपये का सममूल्य मूल्य है। इक्विटी शेयर का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है।

(ख) लाभांश
कोई लाभंश प्रस्तावित नहीं है क्योंकि कंपनी ने अभी वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ नहीं किया है।

(ग) परिसमापन:
कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारक सभी प्रेफरेंशियल राशियों के संवितरण के पश्चांत, कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों दवारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड
सीआईएन- U45500DL2017GOI317401
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों संबंधी नोट
सभी राशियां लाख रूपए में जबतक अन्यथा उल्लिखित हो

नोट सं. 08 : अन्य इक्विटी

विवरण	31 मार्च 2018 को
प्रतिधारण आमदनियां	63.07
कुल	**63.07**

प्रतिधारण आमदनियां

विवरण	31 मार्च 2018 को
आरंभिक शेष	-
जमा: लाभ हानि खाता विवरण में अंतरित लाभ	63.07
घटा: प्रदत्त पूंजी में वृदधिहेत् प्रदत्त शुल्क	-
घटा: सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित	-
समापन शेष	**63.07**

नोट सं. 09 : अन्य वित्तीय देयताएं

विवरण	31 मार्च 2018 को
चालू	
देय वेतन एंव पारिश्रमिक	1.05
अन्य देय राशियां:	
संबंधित पक्षों को देय (इरकॉन इंटरनेशनल लि.)	228.59
अन्यों को देय	1.09
देय लेखापरीक्षा शुल्क	0.23
एनएचएआई को देय (स्वतंत्र इंजीनियर शुल्क)	10.33
कुल	**241.29**

नोट सं. 10 : अन्य चालू देयताएं

विवरण	31 मार्च 2018 को
भुगतान योग्य सांविधिक देय	
आयकर - टीडीए देय	0.29
कुल	**0.29**

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड
सीआईएन- U45500DL2017GOI317401
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों संबंधी नोट
सभी राशियां लाख रूपए में जबतक अन्यथा उल्लिखित हो

नोट सं. 11 : अन्य व्यय

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त अवधि हेत
लेखापरीक्षक पारिश्रमिक	0.25
कल	**0.25**

सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त अवधि हेतु
लेखापरीक्षा शुल्क - चालू वर्ष	0.25
कुल	**0.25**

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड

सीआईएन- U45500DL2017GOI317401

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों संबंधी नोट

सभी राशियां लाख रूपए में जबतक अन्यथा उल्लिखित हो

नोट सं. 12 : वर्ष के दौरान संबंधित पक्ष संव्यवहार का ब्यौरा

संबंधित पक्ष का नाम	विवरण	संव्यवहार (रूपए)	बकाया राशि
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	इक्विटी में निवेश	5.00	5.00
	अन्य देय	228.59	228.59
	किराया	1.84	
	व्ययों की प्रतिपर्ति	228.59	

नोट सं.13: लेखों संबंधी अन्य नोट

क. इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड (आईडीएचएचएल) ने दिनांक 19-06-2017 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ सेवा रियायत की व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं। जिसके संदर्भ में रियायत करार की शर्तों के अनुसार एनएचपीडी चरण-V के अंतर्गत अभिकल्प, निर्मण, वित्तपोषण, प्रचालन तथा अंतरण (डीबीएफओटी) पर हाइब्राइड वार्षिकी परियोजना के रूप में निष्पादित किए जाने हेतु कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-4) 260+000 से 338.923 (लगभग 78.923 किमी) तक देवांगेरे - हवेरी को छह लेन का बनाने का कार्य सौंपा गया है। उक्त समझौते के संदर्भ में, आईडीएचएचएल के पास दावानगेरे हवेरी खंड के छह लेनिंग की परियोजना के निर्माण को पूरा करने और परियोजना की संपत्ति, जिनके जीवन की अवधि समाप्त हो गई है, सहित सभी परियोजनाओं संपत्ति को उचित कार्यशील स्थिति में रखने का दायित्व है । परियोजना वार्षिकी पैटर्न पर आधारित है।

ख. यह निगमन को पश्चात प्रथम वर्ष है, और पहली बार ये वित्तीय परिणाम तैयार किए जा रहे हैं। दिनांक 31 मार्च 2017 के समवर्ती आंकड़े प्रकटीकरण के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

ग. आकस्मिक देयताएँ: शून्य

घ. कंपनी ने अब तक किसी भी आपूर्तिकर्ता को नियुक्त नहीं किया है, इसलिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) के तहत कोई लेनदेन नहीं है। इस जानकारी के आधार पर, दिनांक 31 मार्च 2018 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय राशि शून्य है।

ड. कंपनी ने किसी लघु उद्योग इकाई को आपूर्तिकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं किया है। इस जानकारी के आधार पर, छोटे पैमाने पर औद्योगिक उपक्रम के प्रति देया राशि शून्य है, जो 31 मार्च 2018 को 30 से अधिक दिनों के लिए बकाया है।

च. वर्ष के दौरान आयात और विदेशी मुद्रा व्यय के शून्य मामले हैं और इसलिए आयात और विदेशी मुद्रा व्यय के सीआईएफ मूल्य के प्रकटन का प्रावधान लागू नहीं है।

छ. प्रचालनिक सेगमेंट (इंडएस 108 के तहत प्रकटीकरण)

कंपनी का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-4) के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के कार्य को करना है, जिसमें कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 48 (पुराना रा.रा

-4) पर देवांगेरे-हवेरी खंड पर किमी 260.00 से किमी 338.923 (लगभग 78.923 किलोमीटर) खंड शामिल हैं, जिसे छह लेन का बनाने के लिए डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण के आधार पर सौंपा गया है , और यह उक्त कार्य तक सीमित है, और व्यवसाय में कोई विविधता नहीं है। कंपनी के पास एकल व्यवसाय और भौगोलिक खंड है।

नोट संख्या 14: सेवा रियायत व्यवस्थाएं

सार्वजनिक से निजी सेवा रियायत की व्यवस्था को परिशिष्ट "क" के अनुसार दर्ज किया जाता है - सेवा रियायत व्यवस्था (इंड एएस -115)। **परिशिष्ट "क"** यदि लागू हो:

क) गारंटर नियंत्रित और विनियमित करेगा कि प्रचालक आधारभूति सुविधाओं के साथ कौनसी सेवाएं प्रदान करेगा, ये सेवाएं किसके लिए उन्हें प्रदान की जाएंगी और किस कीमत पर इन्हें प्रदान किया जाएगा; तथा

ख) गारंटर स्वामित्व, लाभकारी पात्रता, या अन्यथा व्यवस्था की अवधि के अंतर्ग में अवसंरचना में किसी महत्वपूर्ण अवशिष्ट हित के माध्यम से नियंत्रित करेगा।

यदि उपरोक्त दोनों शर्तों को एक साथ पूरा किया जाता है, तो एक वित्तीय परिसंपत्ति को इस स्तर तक स्वीकार किया जाएगा कि प्रचालक को सेवा के लिए या गारंटर के विवेक पर नकद या अन्य वित्तीय संपत्ति प्राप्त करने विशेषाधिकार होगा।

इन वित्तीय परिसंपत्तियों को आरंभिग लागत पर स्वीकार किया जाएगा, जो प्रचालनों के कारण प्रत्येक्ष रूप से उपलब्ध सेवाओं के उचित मूल्य जमा अन्य प्रत्यक्ष लागतों पर होगी। इन्हें तत्पश्चात प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिशोधित लागत पर लेखांकित किया जाएगा।

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड (आईडीएचएचएल) ने दिनांक 19-06-2017 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ सेवा रियायत की व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं। जिसके संदर्भ में रियायत करार की शर्तों के अनुसार एनएचपीडी चरण-V के अंतर्गत अभिकल्प, निर्मण, वित्तपोषण, प्रचालन तथा अंतरण (डीबीएफओटी) पर हाइब्राइड वार्षिकी परियोजना के रूप में निष्पादित किए जाने हेतु कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-4) के 260+000 से 338.923 (लगभग 78.923 किमी) तक देवांगेरे - हवेरी को छह लेन का बनाने का कार्य सौंपा गया है। उक्त समझौते के संदर्भ में, आईडीएचएचएल के पास दावानगेरे हवेरी खंड के छह लेनिंग की परियोजना के निर्माण को पूरा करने और परियोजना की संपत्ति, जिनके जीवन की अवधि समाप्त हो गई है, सहित

सभी परियोजनाओं संपत्ति को उचित कार्यशील स्थिति में रखने का दायित्व है । परियोजना वार्षिकी पैटर्न पर आधारित है।

रियायत की अवधि नियत तिथि से 15 वर्ष होगी। रियायत अवधि के अंत में, परिसंपत्तियों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को वापस स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

समझौते के संदर्भ में महत्वपूर्ण उल्लंघन के मामले में एनएचएआई और इरकॉनडीएचएचएल के पास इस समझौते के अनुसार चूक की घटना का समाधान करने में सक्षम न होनी की स्थिति में समझौते को समाप्त करने का अधिकार है।

कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2018 को समाप्त अवधि के लिए सेवा रियायत समझौते के तहत 245.67 लाख रूपए की वित्तीय संपत्ति को स्वीकार किया है, जिनमें 55.30 लाख रूपए परिसंपत्तियों के निर्माण के तथा 190.37 लाख रूपए निगमनपूर्व व्यय के हैं। कंपनी ने सड़क के प्रचालन से किसी राजस्व को स्वीकार नहीं किया है क्योंकि इस लाइन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। लाइन के प्रचालन आरंभ होने पर राजस्व को बुक किया जाएगा। कंपनी ने उचित मूल् पर आरंभि रूप से मापे गए सेवा रियायत करार के तहत प्राप्य को स्वीकार किया है।

निर्माण संविदा

कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) नियम 2016 में अधिसूचित अनुसार, इंड एएस-11 : निर्माण संविदाओं में अपेक्षित प्रकटनों के अनुसार, तुलन पत्र की तारीख को वित्तीय विवरणों में विचाराधीन राशि निम्नानुसार है: -

(रूपए लाख में)

विवरण	**31 मार्च 18**
स्वीकृत संविदा राजस्व	-
वहन लागत का सकल मूल्य	245.67
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम की राशि	-
ग्राहकों द्वारा प्रतिधारित राश	-
संविदागत कार्यों हेतु ग्राहकों से देय सकल राशि	-

नोट सं. 15: पूंजी प्रबंधन

कंपनी की नीति एक मजबूत पूंजी आधार बनाए रखना है ताकि निवेशक, लेनदार और बाजार का विश्वास बनाए रखा जा सके और व्यवसाय के भविष्य के विकास को बनाए रखा जा सके। कंपनी पूंजी पर रिटर्न और साथ ही अपने इक्विटी शेयरों पर लाभांश के स्तर की निगरानी करती है। पूंजी का प्रबंधन करते समय कंपनी का उद्देश्य एक इष्टतम संरचना बनाए रखना है ताकि शेयरधारक मूल्य को अधिकतम किया जा सके।

नोट सं. 16: वित्तीय माध्यम

(i) श्रेणी द्वारा वित्तीय माध्यम

विवरण	31 मार्च 2018 को		
	एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	-
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	-	-	0.23
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	245.67
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**-**	**-**	**245.90**
वित्तीय देयताएं:	-	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	**241.29**
कुल वित्तीय देयताएं	**-**	**-**	**241.29**

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य उस राशि में शामिल है, जिस पर इच्छुक पक्षों के बीच मौजूदा लेनदेन में वर्तमान संव्यवहारों में विनिमय किया जा सकता है।

उचित मूल्यों का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित विधियों और मान्यताओं का उपयोग किया गया था:

i) कंपनी द्वारा दीर्घकालिक परिवर्तनीय दर उधार का मूल्यांकन ब्याज दरों, विशिष्ट राष्ट्र जोखिम कारकों और अन्य जोखिम कारकों जैसे मापदंडों पर किया जाता है। इस मूल्यांकन के आधार पर ऐसे भुगतानों का उचित मूल्य उनकी वहन राशि से भौतिक रूप से भिन्न नहीं है।

ii) गैर वर्तमान अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों, व्यापार प्राप्य, नकद और नकद समकक्षों, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और अन्य वित्तीय देनदारियों का उचित मूल्य उनके वहन मूल्यों के बराबर माना जाता है।

iii) वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं, जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है, के लिए वहन राशि उचित मूल्यों के बराबर होती है।

ii) वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियां, ऋण और अन्य वित्तीय देनदारियां हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के प्रचालन को वित्तपोषित करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में एनएचएआई से रोकड़ और रोकड़ समतुल्य और वसूली योग्य राशियां शामिल हैं जो सीधे इसके प्रचालन से प्राप्त होते हैं। कंपनी की गतिविधियाँ विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों को प्रस्तुत करती हैं: जैसे बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम।

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो बाजार की कीमतों में परिवर्तन के कारण वित्तीय साधनों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव उत्पन्न करता है। बाजार जोखिम में ब्याज दर जोखिम शामिल है। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में व्यापार प्राप्य, व्यापार देय और अन्य गैर-डेरिवेटिव वित्तीय साधन शामिल हैं।

ख) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो बाजार के ब्याज दर में परिवर्तन के कारण वित्तीय साधनों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव उत्पन्न करता है। कंपनी अपने ब्याज जोखिम का प्रबंधन कंपनियों की नीतियों और जोखिम उद्देश्य के अनुसार करती है। ब्याज दर जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में बैंकों के पास जमा राशि शामिल है। इन वित्तीय साधनों पर ब्याज दर का जोखिम बहुत कम है, क्योंकि वित्तीय साधनों की अवधि के लिए ब्याज दर निर्धारित है।

ग) ऋण जोखिम

ऋण जोखिम कंपनी को वित्तीय हानि का जोखिम है, यदि ग्राहक या वित्तीय साधन के प्रतिपक्ष अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, और यह जोखिम मुख्य रूप से ग्राहकों और निवेश प्रतिभूतियों से कंपनी की प्राप्तियों से उत्पन्न होता है। ऋण जोखिम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ रोकड़ संव्ययवहारों से उत्पन्न होता है, साथ ही साथ ग्राहकों के लिए ऋण जोखिम भी शामिल है, जिसमें बकाया खाते प्राप्य होते हैं। ऋण जोखिम के लिए अधिकतम जोखिम वित्तीय परिसंपत्तियों के वहन मूल्य के बराबर है। प्रतिपक्ष ऋण जोखिम के प्रबंधन का उद्देश्य वित्तीय परिसंपत्तियों में नुकसान को रोकना है। कंपनी अपनी वित्तीय स्थिति, पिछले अनुभव और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए, समकक्षों की ऋण गुणवत्ता का आकलन करती है। वर्तमान में कंपनी ने केवल एनएचएआई (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) के साथ समझौता किया है, इसलिए कंपनी का ऋण जोखिम न्यूनतम है।

घ) तरलता (नकदी) जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है, जिसके अंतर्गत कंपनी अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में सक्षम नहीं होती है जब ये दायित्व देय हो जाते हैं। कंपनी यह सुनिश्चित करके अपनी तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है,कि जहां तक संभव हो, देय होने पर अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त नकदी उपलब्ध रखे।

कंपनी का निगमित ट्रेजरी विभाग तरलता (नकदी), वित्तपोषण और निपटान संबंधी प्रबंधन के लिए भी उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार के जोखिम से संबंधित प्रक्रियाएं और नीतियां पर वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा निगरानी रखी जाती हैं।

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च 2018 तक महत्वपूर्ण वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता का विवरण प्रस्तुत करती है:

विवरण	**31 मार्च 2018 को**		
	1 वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2 वर्ष या अधिक**
ऋण	-	-	-
	-	-	-

नोट सं.17: अनुमान अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत

भविष्य के संबंध में महत्वपूर्ण अनुमान और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमान अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत हैं निम्नानुसार हैं, जो अगले वित्तीय वर्ष परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि के लिए प्रमुख समायोजनों के लिए उत्तरदायी महत्वपूर्ण जोखिम हो सकता है।

क) उचित मूल्यांकन माप और मूल्यांकन प्रक्रिया

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों को डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है। जहां संभव हो, इन पद्धतियों के लिए इनपुट, अवलोकनात्मक बाजारों से लिया जाता है किनतु, जहां यह संभव नहीं है, उचित मूल्यों के निर्धारण के लिए विवेक के स्तर की आवश्यकता होती है। निर्णयों में तरलता जोखिम, ऋण जोखिम और अस्थिरता जैसे इनपुट पर विचार शामिल हैं। इन कारकों के बारे में मान्यताओं में परिवर्तन से वित्तीय माध्यमों की रिपोर्टिंग में उचित मूल्य प्रभावित हो सकता है।

ख) कर

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को उस स्तर तक स्वीकार किया जाता है जहां यह संभावित है कि करयोग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके प्रति हानि का उपयोग किया जा सकता है। महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय के लिए अपेक्षित है कि वह आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मात्रा निर्धारित करे जो संभावित समय और स्तर के आधार पर पहचानी जा सकती है, जो भविष्य की कर योजना रणनीतियों और भावी कर योग्य लाभ पर आधारित हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, के अनुच्छेद 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए **इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड** का वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम के अनुच्छेद 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट आफ चार्टेड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित अनुसार तथा आश्वासन मानकों के अनुसार अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित अनुसार लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 11 सितंबर 2018 की उनकी संशोधित लेखापरीक्षा रिर्पोट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए **इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों का अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(क) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील अभिलेखों को प्राप्त किए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह प्रमुख रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों के प्रश्नों तक सीमित है और यह कुल लेखांकन रिकार्डों की चुनिंदा जांच है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम के अनुच्छेद-143(6)(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों को प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो में संज्ञान में आए और जो मेरे विचार से इन वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा के बेहतर ढंग से समझने के लिए आवश्यक हैं।

कृते एवं की ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

ह/-
(बी.आर.मंडल)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक
रेल वाणिज्य

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 27 सितंबर 2018